[Dr. Vasant Kumar Pandit]

to the wrong interpretation and decision by the Railway Board, the discrimination in making permanent and giving seniority to the officers selected through interview by the UPSC and those appointed through direct recruitment. The decisions have also been given against the stand taken by the Railway Board given by the Allahabad High Court, and again recently upholding the rights of 'temporary officers' as equal to those of direct recruitment, given by the Supreme Court in the case of Patwardhan *vs.* State of Maharashtra. The inaction on the part of the Railway to respond to the decision by cancelling the illegal amendment to the Establishment Code made during the period of Emergency, and that too with retrospective effect. This has to be remedied, and the early solution necessary on this issue, because of which a large number of officers, over 1000 officers, are suffering in their future and in their seniority, inspite of 20 years of good excellent recorded service.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we go on to the discussion on the Budget.

एक माननीय सदस्य : मैंने भी रूल 377 में नोटिस दिया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER: In regard to rule 377, those whose notices have been accepted, have been called.

जिन-जिन सदस्यों ने नोटिस दिया था, अगर वे सब खड़े हो जायें, तो 300 नोटिसिज होंगे—इस लिए सब को मौका नहीं मिल सकता है, जिन के नोटिसिज एक्सेप्ट हो गये हैं, उन को बुलाया गया है।

13.27 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1978-79—*Contd.*

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND THE DEPARTMENT OF CULTURE—*Contd.*

श्री रामनरेश कुशवाहा (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गत 30 वर्षों में अगर किसी विषय की सब से अधिक दुर्दशा इस देश में हुई है, सब से अधिक खिलवाड़ अगर किया गया है, तो वह शिक्षा है। यह वर्तमान शिक्षा पद्धति किस लिए बनी थी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर आदमी यह मानता है कि केवल क्लर्क पैदा करने के लिए यह शिक्षा पद्धति लागू की गई थी। आज हमारे स्कूल, कालिज और यूनिवर्सिटीज गुलाम, बेकार और बेइमान बनाने के कारखाने हैं। मैंने गुलाम शब्द का प्रयोग इस लिए किया कि लड़के ने स्कूल में पैर रखा, उस का सब से पहला लक्ष्य होता है, नौकरी करना, तो स्कूल में आते ही यह गुलामी उस के सिर पर सवार हो जाती है। जब नौकरी में चला गया, तो कोई नहीं पूछता कि तुम को कितनी तनख्वाह मिलती है, सब से पहला सवाल यह होता है कि ऊपरी आमदनी कितनी है। इस तरह से ये बेइमान बनाने के कारखाने हुए। जब लड़का मेज-कुर्सी पर पढ़ने लगता है, तो गोबर से उस को दुश्मनी हो जाती है। वर्तमान सभ्यता के मुताबिक उस को काफी चाहिए, दूसरी चीजें चाहिए। बाप ने न जाने किस तरह से, अपना अनाज बेच कर, उस को पढ़ाया, पढ़ने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वे चारों की फौज में भरती हो जाते हैं और इस फौज मे भरती हो कर वे जो कर रहे हैं—वह हमारे और आप के सामने है। उन को पैसा चाहिए, क्योंकि उन का खर्चा बढ़ा हुआ है, घर से उन को मिलेगा नहीं, दिन में मेहनत करने का कोई साधन नहीं है, तब फिर वे रात में ही मेहनत करने लगते है। यह है हमारी शिक्षा की हालत।

हमारे पुराने मित्रों ने, पुरानी सरकार ने, शाब्दिक परिवर्तन तो बहुत किये, पहले कहा गया कि हम मौलिक परिवर्तन करेंगे, कुछ दिन मौलिक परिवर्तन चला, उस के बाद कहना शुरू कर दिया कि हम आमूल-परिवर्तन करेंगे।

जब 'आमूल' भी पूरा नहीं हुआ, तब तीसरा शब्द आ गया कि हम 'आमूलचूल' परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन हुआ क्या? कुछ नहीं, सिवाय इस के कि 10 प्लस 2 प्लस 3 की थ्योरी खड़ी कर दी गई। इस के बारे में मैं बाद में कहूंगा लेकिन मैं इस वक्त इतना ही कहूंगा कि यह हिन्दुस्तान के लिए है ही नहीं और हमारे प्रधान मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वह सफल नहीं होगा। यह तो उन लड़कों के लिए ठीक हो सकती है जो कनवेंट स्कूलों में पढ़ते हों या पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हों। जहां टाट पर बैठने वाले बच्चे हों वे 20 सब्जेक्ट्स को क्या पढ़ेंगे। इसलिए मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि कृपा कर के आप कोई बढ़िया शिक्षा नीति बनावें। कमीशन तो पुरानी सरकार ने बहुत बनाए हैं और उन से काम चलने वाला नहीं है। अगर किसी मामले को टालना हो, तो कमीशन बना दो। कमीशन का मतलब है टालू मिक्सचर। किसी मसले को पांच वर्ष के लिए टरकाना हो, तो कमीशन बना दो और ये कमीशन क्या करते हैं कि फलां विद्वान ने यह कहा था और फलां विद्वान ने वह कहा था। 'कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा'। अनुभव के आधार पर अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जो प्रयोग हुए हैं, उन का इस्तेमाल किया है कभी सरकार ने? क्या गांधी जी ने शिक्षा के बारे में जो प्रयोग किया था, उस का इस्तेमाल सरकार ने किया है? 1921 में जब असहयोग आन्दोलन चला था तो विद्यार्थियों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहा गया। उस के बाद काशी विद्यापीठ खोली गई, गुजरात विद्यापीठ खोली गई और शान्ति निकेतन में पेड़ के नीचे और सादगी से पढ़ने का आदर्श रखा गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर ने और भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु और उस को प्रकाश में रखते हुए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। तो काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की राष्ट्रीयता, शान्तिनिकेतन की सादगी और गुरुकुल कांगड़ी की भारतीयता इन तीनों को मिला कर आप क्यों नहीं एक नई शिक्षा नीति बनाते हैं। मैं नहीं समझता कि हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के बाद यह एकेडिमिक एजूकेशन देने का क्या मतलब है, सिवाय इस के कि आप बेकारों की फौज को बढ़ाते हैं। क्यों आप बेकार में पैसा बहा रहे हैं। उस के बाद आप रोजगार की शिक्षा दीजिए, पेशे की शिक्षा दीजिए। जिस पेशे की आप शिक्षा देते हैं उस में उस लड़के को आप एक्सपर्ट बनाइए। जिस सबजेक्स में आप को एक्सपर्ट बनाना है उसमें उस का एडमिशन किया जाए लेकिन यह बेकारों की फौज बढ़ाने से क्या फायदा। मैं यह तो कहता हूं कि यह जो आप एग्रीकल्चरल कालेज या यूनिवर्सिटी खोलते हैं, इनको वहां क्यों नहीं बनाते हैं जहां पर पूरी जमीन हो और वहां पर क्यों आप दूसरे लोगों को नौकर रखते हैं। आप उन लड़कों से ही काम करवाएं और उत्पादन बढ़वाएं और उस उत्पादन से जो पैसा प्राप्त हो, उस से कालेज का काम चलाएं और लड़कों को अपने घर से पैसा न खर्च करना पड़े। इसी तरह से आप टैकनिकल इंस्टीट्यूशन्स वहां पर खोलिये जहां पर कारखाने ज्यादा हों और वहां पर लड़कों का जाना अनिवार्य कर दीजिए और यह कर दीजिए कि इतने घंटे वहां पर काम करना अनिवार्य होगा। थ्योरी के लिए आप कुछ घंटे रख दीजिए। इस तरह से आप कोई दृष्टि बनाइए क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंधेरे में ही हाथ मारते रहोगे जैसे कि पिछले 30 वर्ष मारते रहे हैं और कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी अशान्ति है लेकिन उस के कई कारण हैं। कई कारण तो ये हैं कि वह लक्ष्यविहीन, दृष्टिविहिन और कार्यक्रमविहीन है और यह शिक्षा एकदम भेड़ों की फौज खड़ी करनी वाली है और कहीं ऐसा न हो कि यह शिक्षा समुद्र में गिरा दे। जब कोई दृष्टि नहीं,

[श्रीरामनरेश कुशवाहा]

लक्ष्य नहीं, कार्यक्रम नहीं और उसी पुरानी परम्परा पर आप चले आ रहे हैं तो इसी तरह से अगर आप चलते रहे तो यह एक दिन गड्ढे में गिरा देगी। मैं आप से कहना चाहता हूं कि ये कारण तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप भी कम कारण नहीं हैं। जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि हम 42 वें संविधान संशोधन विधेयक को वापस ले लेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप को यह कहने की क्या जरूरत थी कि समवर्ती सूची में शिक्षा को नहीं लेंगे। जब बार बार हमारे नेता चाहते हैं कि 42 वें संविधान संशोधन विधेयक में जो अच्छी चीजे हैं, वे रहेंगी, तो आप ने कैसे अर्थ निकाल लिया कि यही सब से खराब चीज है और इस को निकाल दिया जाएगा। आप जानते हैं कि ऐसा कर के आप ने कितना बड़ा अनर्थ किया है। इस के चलते सारे देश के प्राथमिक शिक्षक संघ और दूसरे संघों के लोग यहां पर इस के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए थे और उत्तर प्रदेश में भी जो कुछ हो रहा है, जो शिक्षक आन्दोलन हुआ है, वह इसी तरह चलते हुए हुआ है। यह मैं जानता हूं कि विरोधी पक्ष की इस में बहुत बड़ी भूमिका है और कुछ दूसरे लोगों की भूमिका है लेकिन आग लगाने का काम आप ने किया है। जब घर के ढेर में आग रखी थी, तो उस में हवा दे कर आप ने जला दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हमारी हैसियत नहीं है कि हम अपने बल पर शिक्षा को समवर्ती सूची से हटा दें। हम यह नहीं कर सकते हैं जब तक कि उधर के भाई हमारे साथ न हों। हमारी भोजपुरी में एक कहावत है—

भिन शहरा खोखियावे
और सांझ से मुंह बावे।

पांच वर्ष के बाद ही आपकी हैसियत होगी कि आप इसे हटा सकें।

जनता पार्टी ने शिक्षा में समानता का अवसर देने का वायदा किया था। क्या हमारी यही समानता है कि देश में पब्लिक स्कूल चलते रहेंगे और बड़े लोगों के बच्चे उनमें पढ़ते रहेंगे? क्या आपके दृष्टिकोण से यह समानता है? किस के लिए यह समानता है? जनता पार्टी ने फैसला किया था कि पब्लिक स्कूल तोड़ दिये जायेंगे लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि ये चलते रहेंगे। आप कहते हैं कि अगर कुछ लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो क्या बुरा है। आज एक गरीब का लड़का पैदल चल कर पढ़ने जाता है और उसे सिर पर छत तो क्या, स्कूल में पेड़ की छाया भी नहीं मिलती है। यह कैसी शिक्षा है कि कलेक्टर का लड़का कलेक्टर, कमिश्नर का लड़का कमिश्नर, मिनिस्टर का लड़का, मिनिस्टर, एम० पी० का लड़का एम० पी० एम० एल० ए० का लड़का एम० एल०ए० बने और उनके बच्चों को शहरों के पब्लिक स्कूलों में पढ़ने की सुविधा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्यादा दिनों तक यह चलने वाला नहीं है। अगर आप इसको जल्दी से जल्दी समाप्त नहीं करेंगे तो निश्चय ही शान्ति नहीं होगी।

इसी के साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली भी अशान्ति का बहुत बड़ा कारण है। आजकल लड़के कहते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं लेकिन इम्तिहान जरूर पास करेंगे क्योंकि हम को नौकरी लेनी है। अगर पढ़ने के लिए मास्टर साहब कहेंगे तो छुरा मार देंगे। मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों नहीं नौकरियों के लिए इम्तिहान लेते हैं? आप एकेडेमिक एजूकेशन के लिए इम्तिहान ले रहे हैं। आप यह इम्तिहान लेना छोड़ दीजिए। चाहे लड़का पढ़े चाहे न पढ़े। अध्यापक अपने आप देखेगा कि लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मैं अपने अनुभव से बताता हूं कि यदि लड़का

छठी क्लास में है तो उसे स्कूल के इम्तिहान में अध्यापक कम अंक देता है लेकिन जब फाइनल इम्तिहान आता है तो हर अध्यापक चाहता है उसके सब लड़के पास हो जाएं। जब आप इम्तिहानों का महत्व नौकरी से जोड़ देते हैं तो छुरी और चाकू चलते हैं। अगर आप इन्हें बन्द कराना चाहते हैं तो इम्तिहानों को नौकरी से मत जोड़ो। इन इम्तिहानों को अध्यापक की मर्जी पर छोड़ दीजिए। जिसको चाहे अध्यापक पास करे, जिसको चाहे फेल करे। नौकरियों में आप इम्तिहान लीजिए। जो क्वालिफाई करे उसको नौकरी में लीजिए, वरना मत लीजिए। जब वहां भी इम्तिहान लेते हैं, वहां भी इम्तिहान लेते हैं तो छुरे चलते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन इम्तिहानों को आप मत लीजिए। नहीं तो पता नहीं, क्या हो जाएगा।

अध्यापकों की एक मांग है कि राष्ट्रीय वेतनमान बनाया जाए। मैं तो कहता हूं कि सभी राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए, जितने भी सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी हैं सब के लिए आप राष्ट्रीय वेतनमान बनाइये। केवल अध्यापकों के लिए ही नहीं, सब के लिए बनाइये। आप न्यूनतम और अधिकतम दोनों वेतनमान तय कीजिए। ये वेतनमान जोब ओरियेन्टेड,पद-आधारित होने चाहिएं, क्वालिफिकेशन ओरियेन्टेड नहीं होने चाहिएं। अब यह नहीं चलने वाला है, वही हाई स्कूल पास प्राइमरी का अध्यापक 300 रुपया पायेगा और वही हाई स्कूल पास अगर बैंक का या एल०आई० सी० का चपरासी है तो वह 800 रु० पायेगा। यह नहीं चलने वाला है। बड़ी नौकरियों की बात हो सकती है उनको सारी चीजें फ्री देते हैं योग्यता के मुताबिक कुछ थोड़ा बहुत हेरफेर कर के तनख्वाह को एडजस्ट कर सकते हैं, खर्चा भी नहीं बढ़ेगा और एक बहुत बड़ा झगड़ा भी समाप्त हो जायेगा। इसलिये शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय वेतनमान बनाइये, और साथ ही साथ हमारी सरकार को भी राष्ट्रीय वेतनमान बनाना चाहिये, और यह जनता पार्टी के चुनाव-घोषणा-पत्र के अनुकूल है।

दूसरी बात मुझे शिक्षा माध्यम के सम्बन्ध में कहनी है। अंग्रेजी की बड़ी वकालत की जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। श्रीमन्, हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है। क्या आपको मद्रास को समझने की जरूरत नहीं है? क्या हमारे देश के लोगों को केरल को समझने की जरूरत नहीं है? महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, नागालैंड आदि को समझने की जरूरत नहीं है? सबसे पहले इंगलैंड को ही समझने की जरूरत है? और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुद हम और आप जो अंग्रेजी बोलते है क्या यह इंगलैंड की जनभाषा है? आयरलैंड में आयरिश बोली जाती है, स्काटलैंड में स्काटिश बोली जाती हैं। और हम जो अंग्रेजी बोलते हैं यह तो बहुत छोटे से हिस्से वैल्श की भाषा है। भू-मध्यसागर के पास फ्रैन्च बोली जाती है। हमारे पड़ोस में बर्मा, नेपाल, श्रीलंका आदि देश हैं, उनकी भाषाओं को क्यों नहीं पढ़वाते हैं। क्या इनसे हमें सम्बन्ध नहीं रखना है? क्या आप अपने पड़ोसियों से नाता नहीं रखना चाहते हैं? अगर आप हृदय से बात करना चाहते हैं तो आपको उनकी मातृभाषा में बात करनी पड़ेगी। और दक्षिण के भाई ठीक कहते हैं कि तुम उत्तर वाले लोग बेईमान हो, तुम हमारी भाषा नहीं पढ़ना चाहते हो, हम तुम्हारी भाषा को क्यों पढ़ें। उनकी इस भावना को मैं समझता हूं। आपने जाल बट्टा कर रखा है शिक्षा नीति में। मेरा निवेदन है कि यह धोका आप न चलाइये। संस्कृत पर समान श्रद्धा सारे देश के लोगों की है, जिनको पढ़ना होगा पढ़ेंगे मातृभाषा के साथ जोड़ कर। लेकिन जब त्रिभाषा सूत्र में रखा है तो तुरन्त हिन्दी क्षेत्र के शिक्षा विभाग के लोग एकदम

[श्री रामनरेश कुशवाहा]

जल बट्टा करते हैं और त्रिभाषा के स्थान पर संस्कृत को पढ़ाते हैं। न बंगला, न तेलगू, न मराठी, न गुजराती, न कन्नड़ पढ़वा रहे हैं। तो उनका यह कहना सही है कि तुम हमारी भाषा नहीं पढ़ते हो, हम तुम्हारी भाषा क्यों पढ़ें। यह संस्कृत के हिमायती लोग मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृत को हिन्दी के साथ जोड़ कर के हिन्दी को भी अपने साथ डुबा देना चाहते हैं। जिस तरह संस्कृत क्लासिकल लैंगुएज हो गई है उसी तरह से हिन्दी को भी क्लासिकल लैंगुएज बना देना चाहते हैं।

उर्दू और हिन्दी का एक झगड़ा खड़ा होता है। अब यह चपला नहीं चलेगा। अगर हिन्दी के विद्वान उर्दू को हिन्दी की शैली मानते हैं तो सूर, तुलसी और कबीर के साथ अकबर इलाहाबादी, ज़ोक, अनीस क्यों नहीं पढ़ाये जायेंगे? फिराक गोरखपुरी क्यों नहीं पढ़ाये जायेंगे? हिन्दी के पाठ्यक्रम में उर्दू के लेखकों और कवियों की कविताओं को रखवाइये, उनके लेख पढ़वाइये, पाठ्यक्रम में रखिये, तब उर्दू वाले सोच सकते हैं कि हमारी भाषा तो चल रही है, लिपि भले ही फारसी न हो। और तब यह झगड़ा भी नहीं खड़ा होगा। लेकिन यहां तो बेईमानी होती है। जब उर्दू का हक देना होता है तो कहते हैं कि उर्दू कोई अलग भाषा नहीं है, हिन्दी की एक शैली है। अगर यही बात है तो जिस प्रकार मैथिल, अवधी, ब्रजभाषा चलती है उसी प्रकार उर्दू क्यों नहीं पढ़वा रहे हैं? उर्दू के लेखकों, कवियों की रचनाओं को हिन्दी के पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ले कर एम०ए० तक जब तक नहीं रखेंगे तब तक यह झगड़ा खत्म नहीं होगा। हिन्दी के जो शुद्धता के पक्षपाती हैं वे हिन्दी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हिन्दी जब राष्ट्रभाषा बनेगी तो उसमें उर्दू, बंगला, तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ के शब्द होंगे राजनीतिक शुद्धता के नाम पर चाहते हैं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा न होने दें। एक बहुत बड़ा षड़यन्त्र इस पर चलता रहा है, मेरा निवेदन है कि आप इस षड़यन्त्र को तोड़ने का प्रयास करें।

उपाध्याय महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री राम नरेश कुशवाहा : बहुत जरूरी बातें कहनी हैं, इसलिये थोड़ा समय और लीजिये।

मैं कहना चाहता हूं कि रेल के कर्मचारियों में और लड़कों में अघोषित युद्ध हो जाता है। लड़के रेल का टिकट लेंगे नहीं और आप उनको छोड़ेंगे नहीं, तो रोज टी०टी० और गार्ड से पीटा-पाटी होगी। आप प्रिंसिपल और हैडमास्टर के सर्टिफिकेट पर क्यों नहीं यह छोड़ देते हैं कि लड़कों को अपने घर से जहां पढ़ने के लिये जाना है वहां तक का फ्री-पास उनको दे दिया जायेगा। इससे व्यर्थ का रोज का झगड़ा तो खत्म होगा। मैं आपसे निश्चित रूप से यह भी कहना चाहता हूं कि लड़कों के साथ बड़े लोग भी बिना टिकट का लाभ उठाते हैं। अगर आप ऐसा कर देंगे तो निश्चित रूप से बड़े लोग बिना टिकट सफर नहीं कर सकेंगे, उनको टिकट लेना पड़ेगा और इससे टिकटों की बिक्री बढ़ जायेगी।

रेल मंत्रालय की मांग के समय पिछले साल भी मैंने कहा था कि लड़कों को स्कूल से घर के लिये फ्री पास दे दिया जाये ताकि यह झगड़ा हमेशा के लिये निपट जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी से और शिक्षा मंत्री जी से कहता हूं कि लड़कों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उनको पोषण दे नहीं सकते, फ्री एजूकेशन का खर्चा दे नहीं सकते, उनके बाप-दादों को इस लायक बना नहीं सकते कि उनकी पढ़ाई का खर्चा वह कर सकें,

तो फिर आप घर से आने जाने के लिये उनको फी पास नहीं देंगे तो और क्या करेंगे। आप कह दीजिये कि यह व्यर्थ का नारा है, हम किसी को पढ़ाना नहीं चाहते। सीधी सी बात है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, सैंट्रल यूनिवर्सिटी है, केन्द्रीय सरकार की यूनिवर्सिटी है। इसमें जातिवाद और भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है जितना कहीं नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपके पास एक लड़के डा० त्रिमोहन प्रसाद की दरख्वास्त हमने भेजी थी। वह हर प्रकार से क्वालीफाइड था, जितने उम्मीदवार थे, सबसे ज्यादा क्वालीफाइड था, लेकिन उसे इसलिये नहीं रखा गया कि वह बैकवर्ड क्लास का था। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप जांच करा लीजिये, उस लड़के को बुलवाकर देख लीजिये कि सबसे ज्यादा योग्य है या नहीं, लेकिन मौके पर हमको भी बुलवा लीजिये ताकि सब साबित हो जाये। लेकिन नहीं, वह बैकवर्ड क्लास का था इसलिये उसे नहीं लिया गया। उसके बारे में श्री हरिहरसिंह वैद्य, वाइस चांसलर श्री भगौती, और डा० कुडप्पा ने चाहा कि प्रमोट कर दिया जाये, लेकिन 8, 10 बरस हो गये, उस बेचारे को इसलिये प्रमोट नहीं किया गया कि वह बैकवर्ड है। मैं कहना चाहता हूं कि वाइवा में कौन फर्स्ट आयेगा? यूनिवर्सिटी में प्रथम आने वाले का एक-आधा नम्बर ज्यादा होता है, फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड में एक दो नम्बरों का फर्क होता है, लेकिन इस वाइवा में बुलाकर अपने साला बहनोई, और कुनबे वालों को 5, 10, 20 नम्बर अधिक बढ़ाकर दे देते हैं। जो पढ़ने वाला है वह पढ़ते-पढ़ते मर जायेगा, वह न डिवीजन ला पायेगा, न पोजीशन ला पायेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कोढ़ आप कब तक चलायेंगे? आप इसकी व्यापक जांच कराइये और वाइवा को तो एकदम खत्म कराइये। इसी तरह से मैं कहता हूं, कि नौकरी में से इंटरव्यू को समाप्त कराइये और यूनिवर्सिटी एक्जाम से वाइवा खत्म कराइये। एक्जाम कुछ विशेष परिस्थिति में ही कराइये। रिसर्च कुछ विशेष क्षेत्रों में कराइये। आप रुपया देते हैं अनुदान के लिये। वहां कुछ लोग बड़ी तनख्वाह लेकर मौज मस्ती करते हैं, शहरों में आजाते हैं रिसर्च के लिये लेकिन वह किस काम का रिसर्च करते हैं। वह दूसरों से लिखवाते हैं कुछ पैसे देकर। जो दूसरों से थीसिस लिखवाकर देते हैं, कुछ ऐसे लोगों को आप डाक्टरेट दे देते हैं और मान लेते हैं कि वह एम०ए० की क्लास को पढ़ाने के लिये क्वालीफाइड है। मैं बन्द कर रहा हूं। मैं आप का बड़ा ही आभारी हूं कि आप ने मुझे थोड़ा अधिक समय दिया लेकिन मैं शिक्षा मंत्री जी से फिर कहना चाहता हूं कि आप कोढ़ पर पर्दा डालने का प्रयास न कर के उस का आपरेशन कीजिए, उस घाव को अच्छा करने के लिए अच्छी से अच्छी दवा कीजिए और जो सड़ रहा है, उस को उखाड़ करके साफ़ कीजिए, उसे अच्छी कीजिए। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं आप की मांगों का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि आप इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर नयी रोशनी लाएं, नये कार्यक्रम लाएं, शिक्षा को उद्देश्य-परक बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

PROF. DILIP CHAKRAVARTY (Calcutta South): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I support the Demands for Grants presented by the hon. Education Minister who is a reputed educationist himself and who had been in the teaching profession right from the very beginning. I would like to raise certain points for his consideration.

Since the formation of this Government, it has been the desire—and the same has been expressed from various

[Prof. Dilip Chakravarty]

forums—that there should be a new idea, a new outlook, in running our system of education, including the structure. I will recall that Gandhiji's ideas seem to be still relevant to the Indian situation. We really did not make any serious effort to implement the same. As a result, we simply increased the divisive tendencies in the Indian educational system.

The new ten-plus-two-plus—three pattern of education would prove meaningful only if basic education, as conceived by Gandhiji, is introduced at all stages without any mental reservation.

I would also like to point out that the essential principles of basic education, namely, productivity, having correlation, of the curriculum with productive activity and the intimate contact between school and the community around, should guide our educational system.

I am aware—and I expect the Education Minister also to make his observations on the same —that Lok Nayak Shri Jayaprakash Narayan submitted, quite some time back, a note to the Government of India. At least that is what I saw in the press. The Lok Nayak gave certain ideas. First of all, he took into consideration the various ills in our present educational system and he wanted right kind of men, whose competence and value-commitment are beyond question, to be appointed in the educational institutions. He made out certain points. I am making a short summary of the same. He also mentioned about duplication of our efforts and dead uniformity in the teaching programme and emphasized evolving a coordinated programme for imparting education. He insisted on introducing massive programmes of non-formal education—about this, I will make a detailed statement—and mobilising teachers and students for a crash programme. He further emphasized that higher education, both general and professional, should be self-financing with arrangement for loan/merit scholarships, particularly for the poor and meritorious students. The Lok Nayak desires to relate opportunities of higher education in the formal system to employment opportunities in the country. He also wants equality of educational opportunity and social justice for all groups in the society. Thirty years after freedom we find that, even whatever equality or semblance of equality was there before the country was free, is no longer there. The Lok Nayak has emphasized organizing debates throughout the country so that a national consensus can emerge through these debates on the reorientation of our educational system. In the absence of such a consensus, the Lok Nayak laments, the idea of 'Total Revolution' would be no more than slogan-mongering in the service of power politics.

I would draw your attention to the report of the Education Commission; page 251, para 10.05, emphasizes creation of common school system of public education. I quote:

> "The main problem before the country is to evolve a common school system of public education which will cover all parts of the country and all stages of school education and strive to provide equality of access to all children." This system will include all schools conducted by government and local authorities and all recognised and aided private schools. It should be maintained at an adequate level of quality and efficiency so that no parent would ordinarily feel any need to send his child to the institutions outside the system such as independent or unrecognised schools. This is the goal which the country should strive to reach, and a number of steps will have to be taken for its early realization."

Needless to add that, in spite of this recommendation for having common

schools, even after 12 years of the submission of the Report of the Education Commission we are only straying far away from the same ideal and the result is, as I had mentioned at the outset, only the encouragement of disentigrating tendencies.

Initially, I had mentioned that the boys in schools are divided into sectors—as I had often said in a rather bantering mood when I addressed students or the teaching community in different parts of the country on Gandhian ideals. The basic education schools are meant for children of the peasantry who are just supposed to vote in the General Election. The ordinary schools for higher education and secondary education were meant for middle-class people who could at best aspire to be the MLAs and MPs and the children of the rich could go to public schools or schools outside the country to become Minister thereafter. This is the system which is prevailing in the country. From the very beginning we have been dividing the population into so many sectors: no one sector can come near the other. This was not so when we were going to school, but now there is a clear-cut division on the basis of economic capacity of the parents of the children. This is a serious situation and is really creating disintegration tendencies in the society.

Now, much has been made out about the problem of illiteracy and from time to time we hear of programmes to remove illiteracy in the country. According to the 1977 statistics, the country's population is 62 crores and the number of literates is only 19 crores while the illiterates number 43 crores. Of these, the males constitute 17 crores and the females 26 crores. There is a total of 43 crores who are illiterates, and I have given the components—dividing them into male and female. Then, out of these 43 crores, those upto four years of age constitute 9 crores, those between five and 24 years constitute 16 crores and those who are 25 years and above constitute 18 crores. So, there are 18 crores of adult illiterates in the country. How are you going to tackle this problem? Every year we have new schools and we record a percentage of increase in literacy. But that should give no satisfaction to the elites of the country. Sometimes they give figures and statistical data and try to say that the country is making progress. But, as a matter of fact, during all these years we have had an increase only in absolute terms, in the number of illiterates in the country.

Now, 16 crores need formal education. But what is the provision for them? I am sure the Education Minister will confirm that, according to 1971 statistics, there was a provision for 6 crores of students of all categories and now these facilities have been extended to about 7 crores of students. But what will happen to the other 9 crores that are left out of this ordinary system or the ordinary way of things? Every year, 9 crores are being left out and we cannot make any arrangement for them to get accommodation in schools—starting from primary stage, to the secondary stage— and other institutions. Something has to be done: some programme has to be taken up.

Now out of these, for those who are out of school and cannot be accommodated in schools—*i.e.*, upto 24 years of age—some arrangements have to be made for formal education, part-time education and whole-time education. I am aware of the difficulties of the Government. Suddenly, it cannot make all the arrangements necessary for an extra number of nine crores, but something has to be done from now. Unless we can set some pace immediately, we cannot solve this gigantic problem.

14.00 hrs.

For the adult illiterates, who number not less than 18 crores, I am sure, the Education Minister, is already having a scheme. I would like to know the outcome of his thinking.

[Prof. Dilip Chakravarty]

Sir, if we can have a crash programme and can spend Rs. 810 crores during five years, or Rs. 160 crores per year, we can remove this adult illiteracy from the country within this period. I would like to elaborate this a little. There are six lakhs of villages in this country. If we form a cluster of villages, with two villages in each cluster, and in each cluster have seven or eight adult education centres, in that case, we may have 20 lakh such centres in the country as a whole. In each centre, at least 100 students may be taught for 1.5 hours daily. This would cost Rs. 270 crores annually. I know, the Education Minister has problems; he has to think in terms of infrastructure and has to see that there is no wastage of money and that there is proper utilization of it. But as I said, if we have a bold programme for five years to remove illiteracy from the body-politic, possibly we can succeed in that. But that requires a little amount of boldness and more allotment of funds for education. We have ignored this part for so long. It was long after the submission of the Education Commission's report that the then Education Minister, Shri Triguna Sen thought of having a national policy on education, but that education policy could not be executed.

About the adult education, I would like to quote from the report of the Education Commission itself. Let us see what the Commission observed on this particular problem. The Commission said in para 17.10, page 424 of its report:

"The campaigns were too limited in scale to achieve a significant advance and generate enthusiasm for further effort. They also tended to be sporadic and uncoordinated—government departments, voluntary agencies, educational institutions and individuals working more in isolation than in active collaboration with other agencies. They were often launched hastily, without the careful assessment of the needs and interests of adults without awakening public interest or stimulating the desire to learn and without adequate provision for the follow-up work in the absence of which no lasting results could be obtained. It is, therefore, not surprising that they failed."

I do not know whether the Government have taken all this into consideration. I have great faith in our Education Minister and I would expect from him a bold statement, a bold step laying down the outline of new education policy whereby we could remove the blot from the body-politic of this country.

The other day, on the 17th March, 1978, I was addressing a conference of retired teachers in Varanasi. They adopted a resolution to the effect that their services be utilised in the scheme for removing illiteracy from the country. Similar efforts could be made in this respect. This is because I am aware of the money being wasted. At least from my own experience, I know that in the University of Calcutta, a particular organization to which money was funnelled year after year was not doing any work in the direction of removing illiteracy. They were making publications and making profits. They have a big building of their own and if you ask them for an account in the field of removal of illiteracy, they would be repeating the same figures year after year. That need not be repeated and caution must be taken so that this experience is not repeated.

I would refer to certain other aspects of our academic life. Last year our Education Minister mentioned that of the 104 Universities and 9 institutes deemed to be Universities, there were problems only in a few of the Universities. But, in reality, it is not so. At any point of time, you may see there are many universities which

are not working. Even as late as 19th March, this year, you find that not a single university in Bihar was operating. So, everyday some of the Universities in some parts of the country are reported to be in an intolerable situation.

I was connected with the University of Calcutta for long 18 years with its management. It has now been superseded by the Government of West Bengal. I am not telling you anything which you do not know, especially how it functioned during the emergency. We had a Vice-Chancellor who was trying to find out patrons who could get him an extension and in his effort to find out patrons, what did he do? A Class I officer of the Government of India, a Deputy Director-General of the CBI applied for the reduction of his age. It came before the Syndicate. I know what was done. On the day of his retirement he reduced his age by 2 years and a half. 38 years after he passed the Matriculation examination. The Union Home Ministry has since then been inquiring. What is the report? The report is not forthcoming. Even today it is not forthcoming. I received a letter from the Union Home Minister, Mr. Charan Singh—which is the latest and dated March 14, 1978:

"Please refer to your D.O. letter of 8th October, 1977 regarding the alleged irregularities made by Dr. S. N. Sen, Former Vice-Chancellor of Calcutta University in the date of birth of Mr. A. B. Choudhary, an erstwhile officer of CBI. Even prior to the receipt of your letter we had requested the Calcutta University to let us know the circumstances under which the date of birth as given in the Matriculation certificate had been altered nearly 38 years after the issue of the certificate. The report from the Calcutta University is awaited. The Government have not yet accepted the change in the date of birth of Mr. Choudhary."

This is dated 14th March, 1978. I had been to the Chief Minister of West Bengal. I had been to the present State Minister on Higher Education and wanted a thorough inquiry, a high power inquiry into the affairs of this particular university for the last 10 years on academic, administrative and financial aspects of the University because this is not the one instance, there are many. Only a few days ago in the West Bengal legislature the Minister for Higher Education in order to cover up his deficiencies—what are his deficiencies I do not know and he happens to be a friend of mine—mentioned wrongly that on the basis of a letter from me which is not a fact, superseded the University of Calcutta. I never wrote a letter in regard to supersession. He made a wrong statement. Even till this date it is still to be corrected. On the contrary, I would urge upon the Minister of Education to have a Commission of Inquiry into the working of all our Universities, not only the Calcutta University because there is a particular type of cancer in higher education....

SHRI DHIRENDRA BASU (Katwa): It is the same everywhere.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY... and particularly into their activities during the emergency. This is urgent. Otherwise only talking of ideologies is not going to solve our problem.

I would also request the Union Education Minister to expedite the Vishwa Bharati Act. While framing it, I would like him to keep in mind the teaching community and the new law, I am sure, will give adequate representation to the teachers and will give precedence to elective principles.

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): Introduced in the Rajya Sabha.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I am not talking about the details. There are many institutions which are financed by the Government of India, Union Ministry of Education. One such institution is the Indian Council of Historical Research, New Delhi.

I will seek your permission for one or two more minutes because I got a wrong reply last year.

For a new member the things never come in the ballot. I never had an opportunity to ask a question on the floor of the House.

The reply given to me was not true. That is why I would like to make a statement.

It is now widely known that the Indian Council of Historical Research —which could have developed into a premier research organisation in our country—has not been able on the whole to come up to the expectations it originally raised.

Larger percentage of expenditure is done on T.A., D.A., of the officers who move round the country, not for publications or research. I would like the Minister to please give a report of the serious publications made by the Indian Council of Historical Research. Although at long last a new Chairman (Professor A. R. Kulkarni) has been appointed for the Council and some betterment is anticipated through the exertions of this new Chairman, matters will not really improve if the same set of incompetent and unscrupulous persons—who were brought into the Council through irregular methods—are still retained or allowed to continue to impair the Council's activities from vintage positions. Shri B. R. Grover, who is in fact a henchman of the clique that dominated the Council's proceedings and who has no claim over scholarly and administrative abilities, was brought to the Council in October, 1974. The position of Director, to which Shri Grover was appointed, was not advertised—contrary to the normal rules for such appointments. Although a selection committee was formed to render the irregular selection look regular and to consider the only one candidate, Shri Grover did not appear before it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up in a minute.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: I would like to draw the attention of the Union Education Minister that Shri Grover was registered in Delhi University as a scholar. He could not complete his thesis. Now as soon as he was brought as Acting Director of the Indian Council of Historical Research, he becomes All-India expert of repute in History. Through him and with his assistance in Calcutta University certain irregular appointments in History were made. And he is publicised as a scholar of repute in History.

I would like the hon. Minister to know about it and assure us that something more will have to be done to put the historical research on a proper keel.

SHRI MUKUNDA MANDAL (Mathurapur): I am very happy to participate in the discussion on the Demands for Grants for the Ministry of Education and Social Welfare.

For every country education is an essential subject for social change and for human civilisation. Man cannot live without food and clothing. At the same time if education is not there, the man cannot live with confidence.

In every civilized country there is a proper system of education. In the socialist countries more emphasis is given on educating the people.

After 30 years of independence we see our developing country has no education policy by which our people can educate themselves. Our illite-

racy is 30 per cent. This is the result of 30 years of independence and the rule of the Congress Government. They talked about the welfare of the women. They shed crocodile tears for the welfare of women. Only 20 per cent of the women are illiterate in the country. This is the position, after 30 years of independence. It is a very difficult question for the nation to face. If the nation has to face a problem like this, it looks very bad in the eyes of the other countries. We are really backward in this respect and the other countries come to know that education is not properly treated here. They come to know that education is not properly taken up here. I would request the hon. Minister to take the necessary steps for formulating a proper educational policy which will enable rapid expansion of education, which will remove illiteracy. The rights of women should be ensured properly. Adult education should be developed and in this way there should be proper education reform in all spheres.

In the Forty-second Amendment, Education has been included in the Concurrent List. It is a joint responsibility but Sir, sometimes everybody's responsibility is nobody's responsibility. This is the position. The States should be given sufficient powers. The responsibility of educating the people should be with the States and the financial responsibility should be borne by the Central Government. In this connection I want to mention that the administrative power is vested upon the Central Government. If immediate action is required to be taken the State Government cannot take necessary steps against any instituiton or enact any law or any rule. The State Governments have to wait for the assent of the President. What we should ensure is that the State Governments should be given all the authority on the subject.

In India today there is lot of student unrest which has taken place. The reason is this. There is lot of frustration among themselves. After educating themselves they cannot find out any jobs. After coming out from colleges and universities there is no way out for them, they have to run for jobs, they run about from one office to another. This is the position. Therefore, I want to emphasise that Education should be job-oriented. There should be a proper education policy formulated to solve the problem of the outburst of students. During the pre-independence days also there was outburst of students. They fought for independence. Before independence and also after independence whenever any injustice has been there, they have fought against it. They have played an important role. They form a very sensitive part of the whole society. Whenever any injustice is there they always fight against that. During the last 10 years, and particularly during the emergency, we saw that the congress took the advantage of this sensitive section of society and goondaism was introduced in schools, colleges and universities particularly in West Bengal. They utilised the students for their own purpose. And that is why in Deoria, U.P. minority students were assaulted and their belongings were looted; their books etc., were set on fire by the upper-class students. This is a shameful fact.

I think the students' attitude is going towards a path which is not expected to be a good one. During the Janata regime if some politicians are involved in all these activities why we should blame this Government. Let us try to have a policy by which the problems of the students are solved.

We see students being found copying and demanding large-scale gracing etc., and they are indulging in arson, loot etc. It is not only shameful to the society but it is also shameful to the whole of our educa-

[Shri Mukand Mandal]

tional system. So, necessary steps should be taken so that the students are satisfied and they do not bother about anything else; they only bother about the welfare of the society as a whole.

I think educational reform is required. As regards this, my party has circulated a document entitled 'People's plan for education'. That has been circulated by my party and discussed also and that has received the blessings of Jayaprakash Narayan. I request the hon. Minister to formulate the education policy. He could make use of this document for the purpose. At the time of formulating the educational reform priority should be given to the following factors: first priority should be for universal elementary education. When we talk about universal primary education, what we find here is that after primary education, most of the students are not in a position to proceed further in their studies. When they can't go to the secondary stage there is no question of their going to the college or university education. My request is that for the students of the age group of 11—14 there should be compulsory education provided by the Government. Steps in that ragard must be taken by the Government.

Coming to adult education, literacy percentage should go up in our country. For that purpose, programme should be undertaken. People living in rural area do not bother about education. They do not know what is going on; they do not know much about culture. That is why I suggest that a cultural programme should be taken up by Government and, at the same time, adults should be given an opportuinty to take part in sports etc. There should be non-formal education to the youth. There is frustration among the youth and so they do not join the colleges or universities. They should be treated properly by us so that they are not neglected by our Indian society. So, in this respect necessary steps should be taken.

Fourthly, there should be greater access of the backward sections to secondary and higher education. More than 25 per cent of our population belongs to scheduled castes and scheduled tribes. I know post-matric scholarships are given to scheduled caste and scheduled tribe students but my point is that most of these students cannot pass through the school level. So, how can they expect to get post-matric scholorships. I request the Government that free education should be given from primary to university level.

Fifthly, there should be decentralisation of education administration so that people are involved in the reform programmes.

Sir, I want to conclude only by saying that the report has correctly assessed that women in India suffer from social disabilities and prejudices which have affected their participation in the mainstream of national life despite the equality guaranteed to them in the Indian constitution. I would request the hon'ble Minister to take such steps which may enable the women to stand on their own and work side by side with men in the national-buildig activities. With these words I conclude.

PROF. DILIP CHAKRAVARTY: Mr. Deputy Speaker, I forget to mention. Sixty-seven marks as grace have been given by the present Vice-Chancellor, after the MBBS results were finalised, and published by the Syndicate of Calcutta University, on an *a la carte* basis to enable some plucked candidates to get the degree. This should also be enquired into.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, शिक्षा की मांगों पर बहस के दौरान, शिक्षा मंत्री द्वारा पिछले एक वर्ष में किए गए कामों की मैं सराहना करना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री

महोदय ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नयी दिशा देने की कोशिश की है—मैं उसका भी स्वागत करता हूं। परन्तु शिक्षा के लिए जो धनराशि रखी गई है उससे कोई भी बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा वेलमीनिंग शिक्षा मंत्री भी इस देश में शिक्षा के स्तर को सुधार नहीं सकता है—ऐसा मेरा विचार है। पहले पंचसाला प्लान में 7.2 प्रतिशत धनराशि शिक्षा के लिए रखी गई थी। दूसरी योजना में वह धनराशि कम होकर 6.2 प्रतिशत हो गई। तीसरी योजना में वह धनराशि 7.5 प्रतिशत रखी गई। चौथी योजना में वह 5.2 प्रतिशत रह गई और पांचवीं योजना में 3.3 प्रतिशत रह गई। जो इस साल का बजट है जोकि 6ठी योजना का पहला साल है उसमें 2 प्रतिशत से भी कम पर आ गई है। मैं समझता था जनता सरकार के आने के बाद कम से कम यह जो एक बहुत बड़ी कमी रही है, बहुत बड़ी बुराई रही है कि शिक्षा के ऊपर धनराशि कम होती चली गई, इसको जरूर सुधारने का प्रयत्न किया जायेगा परन्तु अफसोस है कि इस साल 1.9 प्रतिशत हमारे टोटल प्लान का शिक्षा के ऊपर खर्च किया जा रहा है जोकि मैं समझता हूं बहुत कम है। जो योजनायें और जो विचार इस सदन में रखे जा रहे हैं उनका पूरा करना इस धनराशि के माध्यम से असम्भव है।

उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल एजूकेशन पालिसी जो इस पार्लियामेन्ट के अन्दर यूनेनिमसली एप्रूव की गई थी, उस में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था, मैं उन को यहां पर कोट करना चाहता हूं। उस में कहा गया था—

"The reconstruction of education on the lines indicated above will need additional outlay. The aim should be gradually to increase the investment in education so as to reach a level of expenditure of 6 per cent of the national income as early as possible.

उपाध्यक्ष महोदय, यह रेजोल्यूशन 1968 में इस हाउस के अन्दर सारे मेम्बर्स ने यूनेनिमसली पास किया था। यह नेशन के लिये एक प्लेज था कि बहुत जल्दी टोटल नेशनल इन्कम का 6 प्रतिशत एजूकेशन पर खर्च किया जायगा, लेकिन हो क्या रहा है—प्लांड-एक्सपेंडिचर का, टोटल-एक्सपेण्डिचर का सिर्फ 2 परसेन्ट एजूकेशन पर रखा जाता है, नेशनल-इन्कम की बात तो बहुत दूर है। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि जो प्लेज हम ने अपने देश के सामने किया था, बजाय इस के हम उस प्लेज को पूरा करने के लिये उस को इम्प्लीमेंट करते, हर साल एजूकेशन पर टोटल-आउट-ले कम होता चला जा रहा है. मैं समझता हूं कि इस को बहुत जल्द ठीक करने की जरूरत है। हमारा छठा प्लान बन रहा है मैं समझता हूं कि उसमें इस बात का ध्यान रखा जायगा। और छठे प्लान का जो पहला साल है उस में 2 परसेन्ट वाली बात उस में से निकाल दी जायगी।

हमारी नेशनल एजूकेशन पालिसी में कुछ और बातें भी कही गई थीं। इस के आखिर में यह कहा गया था—

"The Government of India will also review every five year the progress made and recommend guidelines for future development"

यह जो नेशनल एजूकेशन पालिसी बनी थी, इस का हर पांच साल के बाद रिव्यू होना चाहिये, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी उस का रिव्यू नहीं किया गया।

यहां यह भी कहा जा रहा है कि एजूकेशन का जो सेन्ट्रल प्रोग्राम है, जो नेशनल पालिसी

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

है, उस को बदला जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस के हक़ में नहीं हूं। मैं समझता हूं कि हर रोज नेशनल एजूकेशन पालिसी नहीं बना करती। यहां कहा जाता कि नया कमीशन या नई कमेटी बनाइये। कमीशन्ज और कमेटीज की तो वहां पहले ही कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ इम्प्लीमेन्टेशन की। 10+2+3 की जो बात है—यह तो अभी पिछले दो सालों से ही लागू हुई है जो एजूकेशन कमीशन यहां बैठा था, उसने 1966 में 10+2+3 को रिकमेंड किया था। उस के बाद पार्लियामेंट के अन्दर जो नेशनल एजूकेशन पालिसी बनी, उस में भी इस को रखा गया। एजूकेशन मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस ने भी इस को रिकमेण्ड किया, तमाम एजूकेशनिस्ट ने मिल कर इस को रिकमेण्ड किया, इस लिये कमजोरी या गल्ती इस सिस्टम में नहीं है, उस के इम्प्लीमेन्टेशन में है, उस के अन्दर रखी गई टैक्स्ट-बुक्स में है, उस के अन्दर रखे गये कोर्सेज में है, उस के सबजैक्ट्स के अन्दर है। एजूकेशन मिनिस्टर साहब पिछले एक साल के अन्दर इस में काफ़ी परिवर्तन लाये हैं, कोर्सेज में कमी की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे एक बात यहां क्लिअर कर दें। रोज-रोज यह कहा जा रहा है कि इस में चेन्ज किया जा रहा है, इस को बदला जा रहा है, 10+2 के बाद फिर हायर-सैकण्डरी आ रहा है, 8+4 हो रहा है—इस का क्या असर हो रहा है—इस से लाखों करोड़ों स्टूडेन्ट्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस समय जो 12वीं क्लास है, उस में बच्चों को अभी भी मालूम नहीं है कि उन को क्या पढ़ना है। इस लिये मैं चाहता हूं कि एजूकेशन मिनिस्टर साहब इस बात को क्लिअर करें कि इस 10+2+3 की पालिसी को चेन्ज नहीं किया जा रहा है, केवल इस के सब्जैक्ट्स में, कोर्सिज में चेन्ज किया जा रहा है।

हमारी एजूकेशन पालिसी के साथ दो-तीन महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हुए हैं। मेरे बहुत से साथियों ने कामन-स्कूल्ज और पब्लिक स्कूल्ज का जिक्र किया है। मैं भी उन के साथ अपनी आवाज को जोड़ना चाहता हूं। यू०जी०सी० और एजूकेशन कमीशन की रिकमेण्डेशन्ज को यहां पढ़ कर सुनाया गया कि नेबर-हुड स्कूल्ज होने चाहिये, पब्लिक स्कूल्ज होने चाहिये। इस के बारे में काफ़ी बातें आप के सामने रखी गईं। इस के साथ-साथ नेशनल एजूकेशन पालिसी में जो शब्द इस्तेमाल किये गये थे, वे इस प्रकार थे—

"To promote social cohesion and national integration the Common School be adopted. Efforts should be made to improve the standard of education ingeneral schools. All special schools like Public schools should be required to admit students on the basis of merit and also to provide a prescribed proportion of free studenship to prevent segregation of social classes."

यह तो नेशनल एजूकेशन पालीसी में कहा गया है परन्तु 10 साल बीतने के बाद भी आज कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो सिर्फ मरिट पर एडमिट कर रहा हो और आज कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो फ्री स्कालरशिप इतनी ज्यादा दे रहा हो। आज उलटी बात हो रही है। जितने पर सेन्ट पब्लिक स्कूल 1968 में थे जबकि नेशनल एजूकेशन पालीसी बनी थी, उस से कम से कम 5, 7 गुना पब्लिक स्कूल बढ़ गये हैं और हर साल बढ़ते जा रहे हैं। एजूकेशन मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि जब तक अच्छी एजूकेशन नहीं दे सकते, तब तक इन स्कूलों को बन्द करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते तो इस का अर्थ यह नहीं है कि शुरू से लेकर दो क्लासेज चलती चली जाएं।

जो स्कूल पहले से हैं वे बन्द नहीं किये जा सकते लेकिन कम से कम आगे के लिए तो इस तरह के स्कूलों का बनना बन्द कर दिया जाए और जितने स्कूल हैं उन को उसी संख्या तक फ्रीज कर दिया जाए और जो आज ऐसे स्कूल बने हुए हैं उन के अन्दर मेरिट से एडमिशन हो, इस को देखना चाहिए।

पब्लिक स्कूलों के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि रीजनल लंगएज के अन्दर पढ़ाई हो, यह घोषणा की गई थी। हायर सकेंडरी तक रीजनल लेंगऐज में और हिन्दी में पढ़ाई हो, ऐसी बात थी। जब मैं नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल का मेम्बर था, तो उस की एक कान्फ्रेंस में मैंने हिस्सा लिया था और उस में एक एक करोड़ रुपया हर स्टेट को इस काम के लिए दिया गया था और यह कहा गया था कि हर स्टेट एक करोड़ रुपये में अपने यहां रीजनल लेंगुएज में ट्रान्सलेशन का काम करवाए। वह एक्सपेरीमेंट जानबूझ कर इन अंग्रेजीदां वालों ने फेल कर दिया। उन्होंने कहा कि रीजनल लेंगुएज के अन्दर ठीक तरह से ट्रान्सलेशन नहीं होगा और टेक्स्ट बुक्स प्रीपेयर नहीं होने दी गई और वह काम अधूरा रह गया और आज रीजनल लेंगुएज के अन्दर हायर एजूकेशन पूरी तरह से नहीं हो रही है और जहां कहीं हो भी रही है, तो उन को कम्पीटीशन में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरफ़ ध्यान देने की बहुत जरूरत है।

अब चार, पांच चीजों का जिक्र और मैं कर देना चाहता हूं। एक बात तो मैं यू०जी० सी० के बारे में कहना चाहता हूं कि यू०जी० सी० जिस तरह से कार्य कर रही है, उस के अन्दर काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने 1961 में स्टैन्डर्ड्स आफ़ एजूकेशन के बारे में एक कमेटी बनाई थी। वह कमेटी 1961 में बनी और उस की रिपोर्ट 1964 में आई और उस रिपोर्ट के आने के बाद आज तक 1978 तक, उस रिपोर्ट पर कोई अमल नहीं हुआ है। 14 साल हो गये हैं और वह रिपोर्ट उसी तरह से कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई है।

उसी तरह से एजूकेशन कमीशन 1964 में बना और अभी तक उस की सिफारिशों पर क्या अमल हुआ है, इस का कुछ पता नहीं है। एजूकेशन पालीसी कितनी सक्सेसफुल हुई है, इस का कुछ पता नहीं है।

इसी तरह से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1970 के अन्दर एक कमेटी यू०जी०सी० के काम को रिव्यू करने के लिए बनाई गयी थी और उस की रिकमेंडेशन्स गवर्नमेंट ने मान ली परन्तु साढ़े तीन साल बाद उस के ऊपर एक दूसरी रिव्यू कमेटी बना दी और ढाई साल बाद उस रिव्यू कमटी की रिपोर्ट वहां पहुंची और अभी तक उस रिव्यू कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस के ऊपर विचार करने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

इस के साथ ही यू०जी०सी० में एक अजीब बात यह है कि वहां पर सारी पावर्स चैयरमैन को दे दी गई हैं, 1956 में एक रेजूलोशन पास कर दिया और उस में यह कह दिया कि सारी पावर्स कमीशन के चेयरमैन को देते हैं और दूसरे रेजोलूशन से चेयरमेन जिस को चाहे अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकता है। चेयरमेन को सारी पावर्स देने से और पावर्स के डेलीगेट होने से कितना मिसयूज उन पावर्स का हुआ है, इस को मैं आप को बताता हूं। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के चेयरमेन, जो कल्चरल एक्सचेन्ज प्रोग्राम होते हैं, उन के अन्दर दो- तीन साल में 13 बार विदेशों में गये हैं। इस तरह से आप देखें कि इन कल्चरल एक्सचेन्ज प्रोग्राम में जब कि यहां से इनटेलेक्चुअल्स और प्रोफेसर्स को जाना चाहिए

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

था, 13 बार खुद यूनिवर्सिटीज ग्रान्ट्स कमीशन के चेयरमेन गये हैं। यह स्थिति इस लिए पैदा हुई कि सब पावर्स उन को दे दी गई थी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि श्री नूरुल हसन जब एजूकेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बहुत सोचे समझे तरीके से यू०जी० सी० में, नेहरू यूनिवर्सिटी में, आई०सी०ओ० आर० और साहित्य एकेडेमीज में जानबूझ कर खास खास जगहों पर अपने आदमियों को रखा है और ऐसे आदमियों को रखा है जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड-होल्डर्स हैं या उन के साथ उनका ताल्लुक है। ऐसे आदमियों को उन्होंने सब जगहों पर बठा दिया था। जब कभी एजूकेशन मिनिस्टर साहब से पूछा जाता है कि ये जो सब जगह पर उन्होंने अपने आदमी बिठा रख हैं, उन्हें हटाया क्यों नहीं जाता है तो हमारे एजूकेशन मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये आटोनोमस बाडीज हैं, मैं उनके अन्दर कुछ नहीं कर सकता हूं। इस प्रकार की मनोवृत्तियों के लोग वहां पर हैं जो हमारे एजूकेशन सिस्टम को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। वे वहां पोलिटिकल इरादे से काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, उनको वहां से हटाया जाना चाहिए, नहीं तो वे गड़बड़ी करते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एन०सी आर०टी० हिस्ट्री की किताबें लिखती है जब उन किताबों का क्रिटिसिज्म होता है तो एजूकेशन मिनिस्टर साहब घबरा जाते हैं आज इस प्रकार की कोशिश की जा रही है कि हिस्टोरियंस के माध्यम से गलत बातें कही जाएं। जब एजूकेशन मिनिस्टर ने उन किताबों का रिव्यू किया तो कहा गया कि उन्होंने एकेडेमिक फील्ड के अन्दर इन्टरफियर किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे पहले जो हिस्ट्री की किताबें थीं वे किस ने हटायी थीं? उन सारी किताबों को हटा कर, एन०सी० आर०टी० ने एक खास नुक्तेनिगाह से किताबें लिखीं और उन्हीं को आज बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इससे बड़ा और कोई रजिमेन्टेशन नहीं हो सकता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारा सेक्यूलर स्टेट है और यहां शिक्षा भी सेक्यूलर, सर्व धर्म समभाव की होनी चाहिए। इस देश में किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। परन्तु हिन्दु धर्म के, हिन्दु कल्चर के खिलाफ़ इन किताबों में सब तरह की, मैं यह शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, नीचतम तरीके के बातें लिखी गयी हैं और उन किताबों को यहां आज स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये किताबें हमारे बच्चों को जबरदस्ती पढ़ायी जाती हैं। बच्चों को वे किताबें पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। इन किताबों में—सब लोग जानते हैं कि हिन्दु गो मांस के बारे में एक भावना रखते हैं—इन किताबों में लिखा है कि आर्य लोग गो मांस खाते थे, सुअर के मांस का इस्तेमाल तब नहीं होता था। उस समय के लोग, आर्य लोग अपने शव फर्श के नीचे गाड़ देते थे। आर्य लोग न केवल गो मांस भक्षी थे, बल्कि बर्बर और अनाचारी भी थे। इसी तरह से यह लिखा गया है कि वैदिक समाज के पुरुषों की जीविका केवल लूटमार थी। अगर इन सारी किताबों का अध्ययन किया जाए तो पता चलेगा कि ये एक खास दृष्टिकोण से लिखी गयी हैं। मैं हैरान हूं कि अब तक इन किताबों को क्यों नहीं हटाया गया? मैं यह मानता हूं कि जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उन पर किताबें लिखी जाएं, वे बाजार में बिकें। लेकिन ऐसी किताबें जबर्दस्ती बच्चों को न पढ़ायी जाएं। मैं यह बात केवल हिन्दु धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूं, किसी भी धर्म के बारे में ऐसी बातें किताबों में न लिखी जाएं जिनसे किसी भी धर्म के बारे में बच्चों में अनास्था पैदा हो। मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी पुस्तकों को फौरी तौर पर हटा दिया जाए जिससे

कि किसी भी धर्म के बारे में घृणा फैलती हो। किसी भी धर्म के बारे में कोई भी गलत बात इस प्रकार की किताबों में नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पोर्ट्स के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। आज स्पोर्टस की हालत बहुत खराब है। अभी हमारा हाकी में डिवेकल हुआ। जब ऐसी कोई चीज हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, बड़ी बड़ी कमिटीज बिठायी जाती हैं। एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट्स की भी कमेटी बनी थी। उस कमेटी की रिपोर्ट अधूरी रह गयी है। दूसरी बहुत सी कमेटियों की रिपोर्ट कोल्ड स्टोरेज में पड़ी हुई हैं। हमारे देश में टोटल प्लान आउट-ले का केवल दो परसेंट रुपया एजूकेशन पर खर्च होता है। उस एजूकेशन के बजट का एक परसेंट रुपया स्पोर्टस पर खर्च किया जाता है। एक साल के अन्दर स्पोर्टस पर केवल 26 लाख रुपया खर्च कर के क्या यह सोचा जा सकता है कि हिन्दुस्तान वर्ल्ड चेम्पियन पैदा कर सकता है। अकेले ओलम्पिक्स पर ही काफी पैसा खर्च हो जाता है। पश्चिमी जर्मनी स्पोर्टस पर एक साल में 96 करोड़ रुपया खर्च करता है। ईस्ट जर्मनी अपनी टोटल बजट का एक बटा पांच यानी बीस परसेंट रुपया स्पोर्टस पर खर्च करता है और हमारे यहां एक का दस हजारवां भाग स्पोर्टस पर खर्च किया जाता है। एक पैसा पर केपिटा हम स्पोर्टस पर खर्च करें और उसके बाद यह उम्मीद करें हमारे यहां चम्पियन पैदा हों तो यह नहीं हो सकता है। आज जो देश में स्पोर्टस की हालत है, उसके बारे में रेडिकल, रिवोल्यूशनरी थींकिंग की जरूरत है। एजूकेशन मिनिस्टर उसके बारे में सोच रहे हैं और मुझे आशा है कि जल्दी उसके बारे में विचार कर कोई नेशनल पालिसी बन जाएगी। ऐसा हमें बताया भी किया गया है। स्पोर्टस में हमें दुनिया में बहुत बेइज्जत होना पड़ता है। मुझे आशा है स्पोर्टस के बारे में हमारी हालत जल्दी सुधरेगी।

एक बात मैं एशियन गेम्स के बारे में कहना चाहता हूं। हमने वर्ल्ड बाडी के सामने कमिटमेंट की है कि हम हिन्दुस्तान में 1982 में एशियन गेम्स आयोजित करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी है कि एक साल बीत गया, अभी तक उसके बारे में तैयारी शुरू नहीं की गयी है। एशियन गेम्स एक दिन में तो आयोजित किये नहीं जा सकते हैं। 1976 के अन्दर ओलम्पिक के टाइम पर यह कमिटमेंट किया गया था। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने इसकी परमिशन दे रखी है और कहा था कि यह कमिटमेंट की जा सकती है। 1978 आ रहा है। उसके अन्दर एक पैसा भी एशियन गेम्स की मद में खर्च करने की व्यवस्था नहीं की गई है। 1982 में ये होनी हैं। मैं मानता हूं कि इन पर कम से कम खर्च करने की कोशिश होनी चाहिये। यह जो कमिटमेंट है इसको गवर्नमेंट मान चुकी है और कह चुकी है कि इसको जरूर पूरा करेंगे। उसके लिए इसी साल से पूरी तैयारी शुरू कर दी जानी चाहिये। उसके लिए जो पैराफरनेलिया बनाना है, जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिये, जो एपेरेटस चाहिये, स्टेडियम चाहिये, सब बनाने हैं। सारे भारत में एक साइकल ट्रैक नहीं है, एक कबड्डी स्टेडियम नहीं है, सारा साल चलने वाला एक स्विमिंग पूल तक नहीं है, किसी भी गेम का पूरा इंटरनेशनल इक्विपमेंट नहीं है। ऐसी हालत में यह कमिटमेंट पूरा नहीं हो सकता है। यह कमिटमेंट अगर अच्छी तरह से पूरा हो जाएगा तो आगे भी स्पोर्टस को बड़ा भारी फिलिप मिलेगा। इस वास्ते एशियन गेम्स यहां करने की पूरी तैयारी अभी से शुरू कर दी जानी चाहिये।

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

डिग्री को एम्प्लायमेंट से डी लिंक करने के बारे में जो बात काफी दिनों से चली आ रही है इसको जल्दी करना चाहिये ताकि डिग्री के लिए हायर एजूकेशन में जाने के लिए जो सख्त कोशिश लोग करते हैं वह न करें। ओपन यूनिवर्सिटी चालू करने के बारे में भी कहा गया था। दो साल तक तो कोई प्राबलैम नहीं होगी क्योंकि टैन प्लस टू में तीन साल तक लड़के यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाने वाले लड़कों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि आप से सम्भालना मुश्किल हो जाएगा। नए कालेज और यूनिवर्सिटीज नहीं खोली जा रही हैं। ऐसी हालत में डिग्री को एम्प्लायमेंट से डी लिंक करने के बारे में तथा ओपन यूनिवर्सिटी के कंसैप्ट को चालू करना बहुत जरूरी है।

एजूकेशन को जो कनकरेंट लिस्ट में रखा गया है इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिये। इसको स्टेट सबजैक्ट बना कर छोड़ देना बहुत गलत होगा। 42वां एमेंडमेंट जो था उस में दो तीन अच्छी बातें हैं। एक ग़रीबों को कानून सहायता देने की थी। एक बात और थी। उसके साथ साथ एजुकेशन को कनकरेंट सबजैक्ट बनाया गया था। यह एक अच्छी बात है। इसको रिटेन करना चाहिये।

मारल एजूकेशन स्कूलों के अन्दर देने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। नैशनल एजुकेशन पालिसी में इसको स्थान दिया गया था। स्कूलों से ही देश के अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए वहीं से मारेल एजूकेशन देना शुरू करना ठीक होगा। इस पर काफी जोर दिया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री महोदय ने जो एक वर्ष में काम किया है उसकी पुनः सराहना करता हूं और उनकी मांगों का समर्थन करता हूं।

*SHRI R. KOLANTHAIVELU (Tiruchengode): Mr. Deputy Speaker, Sir, at the very outset, I am glad to point out that the hon. Minister of Education has formulated policies and programmes reflecting the Janata Government's ideals and assurances to the people of the country and I am sure that he will be able to get them implemented through the Demands for Grants for which he seeks the approval of the House. He is guided by the two cardinal tenets—improving education and enthusing the youth of the country. Without reiterating what is contained in the Annual Report of the Ministry of Education, I would refer to a few pertinent issues.

In comparison with other countries of the world, we are educationally backward and economically underdeveloped. If we demand that our present educational system must be revamped, our Minister would counter us by referring to the financial constraints. The Minister of Education cannot demand overriding priority though Education is the basis of all growth, and he has to function effectively within the available resources. Our aim should be to utilise the allocated money cautiously for the betterment of education.

We have so far been formulating syllabi to meet the needs of above-average children. We should bear in mind that the educational syllabi should cater to the requirement of common people, majority of whom are below poverty line, if we are to eradicate illiteracy from among them. As he had himself been an illustrious teacher, I am sure that the hon. Minister knows fully well what kind of syllabi should

*The original speech was delivered in Tamil.

be there if education is to reach the grass-roots and what type of teachers should be there to guide their children of the common people. The well-being of the country lies in its enlightened society and in creating such a society education plays the pivotal role. Education should not merely be job oriented as its primary aim. If our educational achievements are high, then other countries will look at us with respect and they will also try to emulate our precepts and practice. I request that the hon. Minister should bestow his personal attention in the matter of introducing an educational system which enhances our prestige abroad and which enables our people to eke their livelihood with self-respect.

We must realise that the common people have ejected us to this august House. I am not referring to the educational needs of the people who have their exercised their votes in polling booths. I am referring to the educational requirements of youth below the age-group of 18 who have not yet been enfranchised. I am a member of the Ministry's Consultative Committee and I am aware of the Minister's avid interest in implementing the Directive Principle of State Policy regarding introduction of free and compulsory primary education throughout the country and universalisation of elementary education in the next 5 to 10 years. I have no grouse or grievance about his approach to resolving the problems of education. Education cannot be reformed or refurnished overnight, as it concerns the people living throughout the length and breadth of the country. The rigours of the people must be borne in mind before we think of introducing radical changes in educational pattern.

If we are true to the saying that India lives in villages, I should regretfully say that adequate attention has not been paid to education in rural areas and in semi-urban areas. Similarly 65 per cent of the youth in the country does not know about educational scholarships offered by the Central Government, foreign scholarships for higher studies etc. They do not know whom to approach and how to fill up the formalities. A sense of competition must be aroused in them. They must know that if they secure good marks they can get higher education abroad and also get highly remunerative jobs. I demand widesspread dissemination of information about such scholarships and other educational amenities existing for the benefit of the youth.

Unfortunately our temples of learning have become hunting grounds for politicians and the students have become the steping-stone for them to assume offices of power and authority. I demand that political parties should be banned from the arena of educational institutions. The students should abjure politics and they should not be overpowered by the fascination of political favours.

Knowingly or unknowingly Education was incorporated in the Concurrent List of the Constitution, besides the State List. The Janata Government assured that the State List would have the exclusive prerogative of having Education and it would be removed from the Concurrent List. But this has not become yet a reality. India is a land of diverse culture and languages and she has given to the world the unique concept of Unity in Diversity. When linguistic fanaticism and fracas are raising their ugly head, it is essential that the States are enabled to meet the immediate needs of the people living within its jurisdiction. We cannot afford to duplicate our efforts and fritter away our limited resources. I am sure that the Education would be removed from the Concurrent List forthwith.

[Shri R. Kolanthaivelu]

It is sometimes bruited about that money is not being spent properly on certain things. We are having our national Government established by the will of the people, committed to the fulfilment of their hopes and aspirations. This aspect of utilising the available resources effectively must bear repetition.

Education must not only have laudable objectives but also have the capacity to generate enthusiasm among the youth. It is not enough that our speeches on educaiton are published in the newspapers. Educational opportunities must receive universal aprobation. It is not feasible to have one uniform syllabus for the entire country. Education must tap the latent talents of the local people. Moreover, it must suit the local genius also. Education must be the main tool for removing the backwardness of the country. We should not be complacent about the rural needs so far as education is concerned.

15 hrs.

It is not relevant to refer to the conflicts and controversies in a country of our size. But it is imperative that education becomes universal so that understanding and appreciation become part of national life. Every parent wants his boy to get good educaiton and remunerative jobs.

SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN (Coimbatore): Only for boys, not girls? Should not educational opportunities and avenues of vocation be created for girls?

*SHRI R. KOLANTHAIVELU: Yes for girls also, without whose support the Government cannot exist. Education should not only by updated but also adjusted to the local needs and requirements. The nation grows if its people are educated Educational accomplishments are natural concommitants of economic growth of the country. Our aim should be better educational standards, to augment the educational opportunities and to abolish the scourage of illiteracy from the country.

With these words I conclude my speech.

SHRI A. E. T. BARROW (Nominated—Anglo-Indians): I am constrained to quote from *As you Like it*:

> "Time travels in divers paces with divers persons I'll tell you who Time ambles withal, who Time trots withal, who Time gallops withal and who he stands still withal".

For the Member who is waiting for his name to be called. Time stands still withal, for the Member who is speaking. Time gallops withal. So, as Time will gallop when I speak, I shall plunge into my subject straightaway.

I am raising the question of policy with regard to the minority-run schools established under Article 30 of the Constitution. I am doing so with confidence in our hon. Education Minister because of his statesman like approach to educational matters. I am also raising this because there is considerable confusion when Members speak of public schools and private institutions because they do not distinguish between these and the minority-run institutions which are founded under Article 30 of the Constitution. There is, therefore, much misinformed criticism of minority-run institutions.

At this stage I would like to emphasize that India is a land of minorities, linguistic and religious. Bengalis are a linguistic minority in Tamil Nadu; Tamilians are a linguistic minority in West Bengal; Christians and

*The original speech was delivered in Tamil.

Muslims are religious minorities, and even Hindus are a religious minority in the Punjab.

The right to establish and administer educational institutions by minorities is given in Aritcle 30 of the Constitution. I am quoting the first part of this article. Article 30(1) states:

"All minorities, whether based on religion or language. shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

I want to stress that this protection in regard to education has been given to minorities, in our Constitution, for a very good and definite reason.

At this stage, I feel it is necessary to pause and consider the need for the protection of rights of minorities in a democracy. The principle of giving special rights to minorities is an internationally accepted one. It is not to have a pampered privileged section in society but to give the minorities a sense of security and a feeling of confidence.

In 1921, Albania subsequent to her admission to the League of Nations signed a declaration relating to the position of minorities in her territory. In 1933, Albania decided that all private schools should be abolished and sought to justify this on the ground that it was a general measure applicable to majority as well as to minority institutions. The Council of the League of Nations felt that this was a matter which should be referred to the highest judicial body and they referred the case to the Permanent Court of International Justice at The Hague. The Court observed.

"The idea underlying the treaties for the protection of minorities is to secure for certain elements incorporated in a State, the population of which differs from them in race, language or religion, the possibility of living peaceably alongside that population and co-operating amicably with it, while at the same time preserving the characteristics which distinguish them from the majority, and satisfying the ensuing special needs...."

The Court went on further to say:

"There must be equality in fact as well as ostensible legal equality in the sense of the absence of discrimination in law. Equality in law precludes discrimination of any kind; whereas equality in fact may involve the necessity of different treatment in order to attain a result which establishes an equilibrium between different situations."

15.08 hrs.

[SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN *in the Chair.*]

In the 1974 case: Ahmedabad St. Xavier's College Society Vs. the State of Gujarat, Mr. Justice Mathew. paraphrased this observation of the International Court in clear, lucid and unambiguous terms:

"The problem of the minorities is not really a problem of the establishment of equality, because if taken literally, such equality would mean absolute identical treatment of both the minorities and the majorities. This would result only in equality in law but inequality in fact. The distinction need not be elaborated for it is obvious that equality in law precludes discrimination of any kind; whereas equality in fact may involve the necessity of differential treatment in order to attain a result which establishes an equilibrium between different situations'. It may sound paradoxical but it is nevertheless true that minorities can be protected not only if they have equality but also, in certain circumstances differential treatment."

The hon. Minister will appreciate this because of his long experience in law.

[Shri A. E. T. Barrow]

It is also interesting to review the provisions of Article 25 to 30 by studying the debates of the Constituent Assembly. These article from the backbone of the fundamental rights guaranteed to minorities.

Sardar Patel who was the Chairman of the Advisory Committee dealing the question of Minorities in a speech delivered in February, 1947 stated:

"This Committee forms one of the most vital parts of the Constituent Assembly and one of the most difficult tasks that has to be done by us is the work of this Committee. Often you must have heard in various debates in the British Parliament that have been held on this question recently and before when it has been claimed on behalf of the British Government that they have a special responsibility, a special obligation for protection of the interests of the minorities."

"They claim to have more special interest than we have. It is for us to prove that it is a bogus claim, a false claim, and that nobody can be more interested than us in India in the protection of our minorities. Our mission is to satisfy every interest. and safeguard the interests of all the minorities to their satisfaction."

In the Constituent Assembly when Clause 18 of the Draft Constitution, the present Articles 29 and 30, was being discussed, two senior members, K. M. Munshi and Mahavir Tyagi, wanted the clause to be referred to the Advisory Committee, the reason being that the Constituent Assembly should wait and see what rights the minorities were being given in Pakistan. In effect, as Dr. Ambedkar put it, they wanted that "the rights of the minorities should be relative, not absolute." Dr. Ambedkar repudiated this in these words:

"Now, Sir, with all deference, I must deprecate any such idea. Rights of minorities should be absolute rights. They should not be subject to any consideration as to what another party may like to do to minorities within its jurisdiction. "We have said that no minority shall be precluded from establishing any educational institutions which such minority may wish to establish...."

I would not continue the quotation, but would like to emphasize that, against this background and against the successive judgements of the Supreme Court, I feel that the Education Minister should create in his Ministry a judicial cell with experts who will look into the rights of minorities when Bills and Rules are drafted. I would request the hon. Minister to ask State Governments also to do the same thing. Time and again, the minorities have to go to the Courts to get their rights enforced. This, I feel, should not be necessary. In particular, I would ask the Education Minister now to have some of the rules under the Delhi Education Act reviewed in the light of the judgements given in the Supreme Court. I am taking only two instances.

Rule 59 requires that, under the scheme of management of recognised schools—and there is no difference made between minority-run schools and other schools—two members are to be nominated by the Director of Education. In the case of minority unaided schools, the Director or Education will nominate two persons from the same minority. In the Christian Chruch, you have different denominations. If the schools is run by the Catholic Church, the Director of Education may, in his wisdom or otherwise nominate two members from the Church of North India. This principle has been struck down by the Supreme Court, and yet, we find it in these rules. I know these rules have not been framed by the present Education Minister; these rules were framed before. I am only seeking his help to get these rules rationalised.

In the case of the Ahmedabad St. Xavier's College Society vs. The State

of Gujarat the judges of the Supreme Court have said that the requirement of outside persons on the Governing Body constitutes an encroachment on the right to administer minority-run institutions. Chief Justice Ray struck down the relevant provision in these terms:

"The provisions contained in section 33A(1)(a) of the Gujarat University Act have the effect of displacing the management and entrusting it to a different Agency. The autonomy in administration is lost. New elements in the shape of representatives of different types are brought in. The calm waters of an institution will not only be disturbed but also mixed. The provisions in section 33A(1)(a) cannot, therefore, apply to minority institutions."

Mr. Justice Mathew and Mr. Justice Chandrachud, the present Chief Justice of the Supreme Court, also struck down the provision thus:

"....The requirement that the College shoud have a Governing Body which shall include persons other than those who are members of the Governing Body of the Society of Jesus would take away the management of the College from the Governing Body constituted by the Society of Jesus and vest it in a different body."

"The effect of the provision is that the religious minority virtually loses its right to administer the institution it has founded."

Therefore, I think it would be contrary to the judgements if the Delhi Administration insists that they will nominate persons to minority-run institutions.

Then, I would refer to Rule 118. Rule 118 lays down the procedure for disciplinary action against members of the staff. In particular, Rule 118 (iv) requires that findings and decisions of Governing Body should be submitted to the Director of Education for his approval. The Supreme Court has struck down a similar section in the Case of St. Xavier's Society Vs. The State of Gujarat.

Then, I would like to quote the words of Justice Mathew and Justice Chandrachud:

"Of course it is up to the State in the exercise of its regulatory power to require that, before the services of a teacher are terminated, he should be given an opportunity of being heard in his defence. But to require that for terminating the services of a teacher, after an enquiry has been made, the management should have the approval of an outside agency like the Vice-Chancellor or his nominee would be an abridgement of its right to administer the educational institution."

If the Minister likes, I can submit a memorandum to him on these matters so that he can deal with it. But I would still make a plea to have a judicial cell in the Ministry of Education so that the minorities need not be compelled to air their grienances in public.

Now, I come to something else. Schools in Delhi are being given only provisional recognition. I will send you the names, but I give a classic instance. Here is a letter dated 1st April, 1978 which says "...your school have been granted recognition up to 30th April, 1978". From 1st April, 1978 to 30th April, 1978! (*Interruptions*). Yes, it may be an April-fool letter; otherwise how can this be? It says that the application for renewal must be sent six months prior to the expiry of the recognition period, on the prescribed form! But how can they send it? They have to send it six months before, and they get the order on 1st April, 1978!

[Shri A. E. T. Barrow]

These schools are well-established schools and Members from both sides of the House and members from your Ministry come to me for admission to these schools. They have been established for 15 to 20 years but they get recognition from year to year or from month to month. This is a serious state of affairs and I would like this to be looked into. Unless safeguards are properly implemented now, can you instil a sense of confidence and a sense or feeling of security in minorities; how can these institutions work?

Finally, may I conclude on this point—the 10+2 pattern. If it is going to be 8+4, is there going to be any change in the content? I was a member of the Ishwarbhai Committee and I was a member of the Adiseshaiah Committee also. We planned a pattern of content which, I think, all educationists would approve of. The Adiseshaiah Committee went into the question whether there should be an examination at the end of standard VIII. On p. 9 of the Report it is stated, "A second issue that was considered was whether the free and compulsory primary school should be an 8-year school as envisaged in the Constitution, whether there should be a public examination at this stage to make it off and give it status, and whether vocationalization could be pushed down to Classes IX and X of the 10-year School." We came to the conclusion, "that it is not desirable to recommend a public examination at this stage"—that is, at the end of the Eight Standard, because from the primary school there should be an uninterrupted transition to get all children into the next stage of the 2 or 3-year secondary school.

If you have an obstacle, have an examination at the end of the 8th standard, you will have more dropouts at this stage than ever. As my friend, Shri Vijay Kumar Malhotra has said not only in Delhi, but throughout the Country schools want a firm decision with regard to the 10+2 pattern. Are we going back to the 11-year pattern or 12-year pattern with an examination at the 8th standard and another examination at the 12th year? If the hon. Minister comes out with a firm statement in this respect, it will relieve the anxiety of thousands of parents and children throughout the Country.

श्री भानु कुमार शास्त्री (उदयपुर) : सभापति महोदया, शिक्षा विभाग की मां गों के अनुमोदन में मैं खड़ा हुआ हूं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह एक स्वाभाविक कल्पना थी कि हम अपनी शिक्षा की रचना ऐसी करेंगे कि जिस रचना के आधार पर हम सामाजिक जीवन में जीवन के मूल्यों को स्थापित कर सकें और शिक्षा के माध्यम से एक नया परिवर्तन व्यक्ति और समाज में ला सकें। लेकिन दिखायी यह देता है कि हम इस ओर गये ही नहीं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा की रीति-नीति को निर्धारित करने वालों के पास कोई दिशा ही नहीं थी, वे विदिशा में जा रहे थे। उन्हें मालूम ही नहीं था कि उन्हें क्या बनना है या बनाना है। कौन-सी शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाए, कौन-सी शिक्षा चलायी जाए, किस प्रकार का अक्षर ज्ञान दिया जाए, उसका उन्हें ज्ञान ही नहीं था। ऊपर से हम नारे देते रहे और उन नारों के आधार पर ही हम शिक्षा में परिवर्तन की बात सोचते रहे। इससे समाज के अन्दर एक गिरावट आयी।

मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारे यहां एक उक्ति है कि कोई कलाकार किसी मूर्ति को बनाने बैठा। उस मूर्ति का चित्र ही उस के सामने स्पष्ट नहीं था। फिर वह मूर्ति कैसे बना सकता था। अगर गणपति की मूर्ति बनानी हो और उसकी सूंड नहीं लगायी जाए, उसे पीछे लगा दिया जाए तो वह बन्दर की मूर्ति बन जाएगी। हमने भी शिक्षा जगत में ऐसा ही किया है। आज सारे

भारतवर्ष में ऐसी स्थिति दिखायी देती है। हम अपने जीवन मूल्यों को भूल गये हैं। आज हम अपने विद्यार्थिओं को दोष देते हैं। हम उन्हें पिछले तीस वर्षों में किस रास्ते पर ले आये हैं। आज कालेजों में उछृंखलता है, स्कूलों में उछृंखलता है। हड़तालें होती हैं। बड़े बुजुर्गों का वहां अपमान किया जाता है। मुझे अपने विद्यार्थिओं को अपने घर के नाश की ओर प्रेरित होते देख बड़ा आश्चर्य होता है। वे फर्नीचर को आग लगाते हैं, विश्वविद्यालय के उपकरणों को नष्ट करते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि ये उपकरण किसकी सम्पति है। वे अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी चलाने लगते हैं।

यह छुआछात, ऊंच-नीच का विचार जो समाज में पाया जाता है, यह किसने दिया है? हम भावात्मक एकता की बात करते हैं और राजस्थान में रहने वाले लोग राजस्थान का नारा लगाते हैं, तमिलनाडु में रहने वाले तमिलनाडु का नारा लगाते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले महाराष्ट्र का नारा लगाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि सारा भारतवर्ष मेरा है, हम इस देश के नागरिक हैं, ऐसा मुझे बनना है। मैं यह नहीं सोचता कि जय भारत की बोलूंगा, भले ही राजस्थान उसके अन्तर्गत आ जाए। यह भावना बच्चों में कहां से पैदा होगी? समाज में यह भावात्मक एकता राष्ट्रीय एकता कहां से पैदा होगी? मूलत: जो हमारी एक बेसिक एप्रोच थी वही गलत थी। हमने यह नही देखा कि उसका परिणाम क्या होगा। उसका आज परिणाम यह है कि अपने घर के अन्दर अपने मां बाप को तथा अपने देश की प्रापर्टी को ही हम नष्ट करते चले जा रहे हैं। एक वर्ष में मंत्री महोदय ने कुछ काम करने का प्रयास किया है जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र है। लेकिन जो परिवर्तन उन्होंने अभी तक किया है वह अधूरा है। उससे जो मौलिक दिशाबोध बच्चों को होना चाहिये नहीं हो पाता। जीवन मूल्य क्या है, समाज की निर्धनता कैसे मिटेगी समाज का कलंक कैसे धोया जा सकेगा, इस प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं। हम देखते हैं कि एक बालक हाई स्कूल पास कर लेता है तो उसके बाद उस में श्रम के प्रति प्रतिष्ठा पैदा नहीं होती है। वह लेबर करने को तैयार नहीं होता है, मेहनत करने को तैयार नहीं होता है। वह घर का काम करने से शरमाता है। घर के अन्दर काम करने के लिए उसको नौकर चाहिये। देश का काम करने से वह शरमाता है। हमारी शिक्षा श्रमोन्मुखी होनी चाहिए, परिश्रमोन्मुखी होनी चाहिए। एग्रिकलचरल कालेज से कोई एम एस सी करके निकलता है तो वह लेक्चरार बनना चाहता है, यूनिवर्सिटी में जा कर लड़कों को पढ़ाना चाहता है, किसान की तरह से जमीन का विकास करके खेत पर उस टैक्नालाजी का उपयोग करने के लिए वह तैयार नहीं होता है। इस प्रकार की शिक्षा दे कर जो जीवन मूल्य हम बच्चों में स्थापित करना चाहते हैं वे नहीं कर पाएंगे। हमारे माननीय सदस्य श्री विजय कुमार मलहोत्रा ने बताया है कि नवयुवक भावात्मक एकता के बजाय विघटनकारी प्रवृत्तियों के अन्दर लगे हुए हैं। स्कूलों के पाठ्यक्रमों के अन्दर यदि इस प्रकार की बच्चों को शिक्षा दी जाए जिस प्रकार की अब दी जा रही है, जिस प्रकार की अब किताब पढ़ाई जा रही हैं कि आर्य जो थे वे जड़ प्रदार्थ थे, वे कुछ समझते नहीं थे, वे गोमांस खाते थे, ऐसी अनगल बातें यदि बच्चों के मस्तिष्क में बिठाने.....

श्री वसन्त साठे (अकोला) : सच बात है।

श्री भानु कुमार शास्त्री : यह विवादास्पद है। इस तरह की चीज पढ़ाना सर्व धर्म सम भाव के विपरीत है। इसको ठीक किया जाना चाहिए। अगर साठे साहब इसको सच मानते हैं तो मैं समझता हूं कि उनको ज्ञान नहीं है। हम जिस बालक का

[श्री भानु कुमार शास्त्री]

जब वह प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता है भाग्य सौंपना चाहते है वह किस के हाथ में सौंपना चाहते है इसको भी आप देखें। उसके लिए आपने एक स्केल निर्धारित कर रखा है। आपने कहा है कि वह मैट्रिक होना चाहिये और जी टी सी होना चाहिये। ट्रेण्ड होना चाहिये। जो बच्चों को बनाने वाला है, वह सब से कम क्वालिफाइड होगा। भावी पीढ़ी का भाग्य आप जिस के हाथ में सौंपना चाहते हैं वह सब से कम क्वालिफाइड होगा यह कौन सा आपने का स्केल है। आप कहते हैं कि जो शिक्षक बच्चों का जीवन बनाने वाला है वह मैट्रिकुलेट होना चाहिये क्योंकि वह प्राइमरी शिक्षा देगा, वर्ण माला सिखाएगा। क्या बच्चे के ऊपर इस प्रकार के संस्कार नहीं पड़ेंगे कि वह भी वही करे जो अध्यापक करता है, क्या बच्चा भी उसका अनुकरण नहीं करेगा, उसके पद चिन्हों पर नहीं चलेगा? मैं समझता हूं कि इस में परिवर्तन होना चाहिए और जो सब से ज्यादा क्वालिफाइड है सब से ज्यादा शिक्षित है वही छोटे बच्चों को पढ़ाए। केवल मैट्रीकुलेट उसको पढ़ाए इस प्रकार का विचार नहीं होना चाहिये।

देश का तेजी के साथ नैतिक ह्रास हो रहा है। तीस वर्ष में बहुत अधिक ह्रास हुआ है। उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। विभिन्न आयोग और समितियां भी गठित हुई है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, डा राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, ईश्वर भाई पटेल समिति, श्रीमैया समिति, सेवा ग्राम समिति, आदि समितियां और आयोग बैठे है। उपकुलपतियों की मीटिंग आनन्द में हुई, राजकोट में हुई, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन राजस्थान विद्यापीठ में हुआ। सब विद्वान वहां एकत्र हुए। इन लोगों ने जीवन में नैतिक मूल्य पैदा करने के लिए शिक्षा आयोगों ने जो हमें इस प्रकार का विचार दिया है क्या कारण है कि हम उसको अपना नहीं सके है। बच्चों को क्यों हम नैतिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते है? नैतिक शिक्षा न देने के कारण प्रारम्भ से ले कर ऊपर तक नीचे से ले कर ऊपर तक नैतिक ह्रास हो रहा है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए।

आज देश के अन्दर एक अनिश्चितता का वातावरण फैला हुआ है। यह वातावरण 10 प्लस 2 प्लस 3 प्रणाली को लेकर फैला हुआ है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसको 8 प्लस 4 प्लस 2 करना होगा। कौन सी शिक्षा प्रणाली अपनानी होगी इसको देख लिया जाना चाहिए। इसको निश्चित कर लेना चाहिए। कौन सा सिस्टम एडाप्ट करना है यह तय हो जाना चाहिए। कोई भी सिस्टम एडाप्ट कीजिए लेकिन एक बार उसको आपको कर लेना चाहिए। राजस्थान में 10 प्लस 2 प्लस 3 एडाप्ट नहीं किया गया है। 10+2+3 में एक यह अवगुण है कि उसमें संस्कृत को एक भाषा के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कृत एक भाषा नहीं है, बल्कि वह हमें जीवन देने वाली एक व्यवस्था है। इस लिए उसे एक भाषा के स्थान पर रखा जाये, अर्थात् जिस की इच्छा हो, वह उस को ले और जिस की इच्छा न हो, वह न ले, ऐसा न कर के उसे पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना चाहिए।

मंत्री महोदय को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में, सरस्वती के मंदिर में, जो उपकुलपति नियुक्त किये जाते है, अगर उन में से किसी के बारे में कोई शिकायत आये, कोई करप्शन का मामला पकड़ा जाये, कोई कमीशन जांच के लिए बैठे और उस के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट दे दें, तो कम से कम उस के बाद ऐसे

व्यक्ति को उपकुलपति न बनाया जाये। क्या हम इस प्रकार के उपकुलपतियों को रख कर शिक्षा का प्रसार कर सकते है ?

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उदयपुर में जो एक उपकुलपति थे, पहले वह मध्य प्रदेश में थे। मैं उन के बारे में एक उदाहरण देना चाहता हूँ।

MR. CHAIRMAN: I rang a bell earlier. Please conclude.

श्री भानु कुमार शास्त्री : इस विषय में एक समाचारपत्र में कहा गया है :—

The Madhya Pradesh Chief Minister Mr. P. S. Sethi told the Vidhan Sabha to-day that the Government had initiated against Dr. P. S. Lamba, former Director of Agriculture and at present Vice Chancellor of Udaipur University for the alleged embezzlement of funds in an insecticide purchase deal while he was in Government service.

The Chief Minister said on the basis of the Vigilance Commission's Report, a fine of Rs. 5,000/- had been imposed and a show cause notice served on him.

मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के व्यक्ति को, जिस के खिलाफ चार्जशीट दे दी गई, जिस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना किया गया, उसे उदयपुर में वाइस चांसलर बना दिया गया। उदयपुर में फिर एनक्वायरी कमीशन बैठा। वहां से उन्हें हटाया गया और फिर उन्हें हरियाणा में इस पद पर नियुक्त कर दिया गया। अब जनता सरकार शासन में आई है। उसे इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाने से क्या लाभ है। क्या हम ऐसे लोगों को रख कर अपने देश का चरित्र निर्माण कर सकेंगे ?

यदि इस प्रकार का कोई भी उदाहरण मंत्री महोदय की जानकारी में आ जाये, तो उन्हें ऐसे व्यक्ति को हटा कर एक आदेश उपस्थित करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now.

You send a list of examples to the Minister.

श्री भानु कुमार शास्त्री : इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRI DHIRENDRANATH BASU (Katwa): The Demands for Grants of Ministry of Education, Social Welfare and Culture are really disappointing. Why I should say 'disappointing' I shall explain all the reasons.

There is no question about the capability of our Education Minister. I have got fullest confidence in him. Out of Rs. 12,000 crores only Rs. 412 crores have been provided for the Department of Education, Social Welfare and Culture. How are the projects as mentioned therein to be implemented? We have had discussions time and again about the language issue, to teach Hindi everywhere, in all cities and towns and villages. But where is the money provided for it? So, that sort of debate will not serve any purpose. We find that for adult education only a few lakhs of rupees have been provided. 67 per cent of the people in the country do not enjoy literacy. Only 33 per cent of the people enjoy literacy. We should remove illiteracy and we should develop the nation. So, this Department should have been given the topmost priority. Education is the backbone of the nation. If the nation is to be developed, if the aspirations of the people are to be fulfilled, education must spread in the villages. The benefit of education must be available for the farmers, for the agriculturists of the country. Until and unless we remove illiteracy, until and unless we develop the

[Shri Dhirendranath Basu]

nation along these lines, I am afraid, there will be revolutions.

We find that even now there are no primary schools in the villages and anchals. These primary schools should be set up there. Government should provide more funds for this purpose. Although the Education Minister stated yesterday that there are 20 lakhs primary teachers to teach literacy in the villages, the position today is that we require about 31 lakh teachers and for this sufficient funds should have been provided. We require 11 lakh teachers more. If there are no funds provided how can things improve? So, this is an important thing which should be looked into.

Then, in page No. 5 in regard to the Demands for Grants in the Ministry of Education and Social Welfare you will find the subject of promotion of Hindi along with the other languages. Unless there are efforts made, how can you promote the Hindi language? There should be the three-language formula as announced by the former Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. He is no more with us today but this three language formula, that is, Regional language, English and Hindi should be taught. This should be taught every where even in the primary schools. In the colleges Adult Education Centres should be opened where Hindi should be taught. People are eager to learn Hindi. In some of the schools and colleges with which I am connected, adult education centres have been opened. People are eager to learn Hindi. But money should be provided for that.

MR. CHAIRMAN: What is the third language in the Hindi-speaking region?

SHRI DHIRENDRANATH BASU: They should also learn other languages. What is the harm?

I have said about the three-language formula. The three-language formula should be accepted and should be implemented properly.

To-day we find that in many of the villages there is no radio or T.V. But, in some schools and colleges, of course, we find radio and T.V. That is why people gather together and listen to the radio or T.V. as to what our leaders are saying and what the education policy of the Government is. In all villages in primary schools, libraries or other institutions, radios and T.V. should be provided by Government. And Central Government should have come forward with the provision of money because the resources of the State Governments are very scanty. Unless sufficient funds are provided for by the Centre, how can they impart education to all? Unless illiteracy is eradicated from this country, we cannot prosper.

Even after thirty years of Independence, illiteracy is prevalent in this country. In this country 67 per cent of people do not know how to read and write. We have to teach them. They are eager to learn. But, facilities are to be provided for the purpose. Unless the facilities are provided, how can we teach them? So, facilities should be provided through different institutions, schools or colleges and Government of India must come forward with the necessary funds for that purpose. Funds are very scanty. How can you expect them to implement any of the schemes—job-oriented scheme?

A sum of Rs. 26 lakhs only has been provided for the technical education. What is meant by job-oriented education? It means provision of jobs to students after the technical education. What is the positon to-day? 80 per cent of graduates are still unemployed. Why? That is because of the faulty policy followed by our Government. People are eager to learn by going for the engineering and other technical education. Unless we encourage young people, they will only go in for the higher studies in colleges—not for technical education—and they will remain unemploy-

ed. I would request the hon. Minister, through you, that sufficient funds should be provided. He should now insist upon the Finance Minister for the provision of more and more funds.

You will be surprised to learn about the students indiscipline. In schools and colleges, there is indiscipline. In Bihar, all the universities have been closed. In all other universities in almost all provinces, there is chaos; there is indiscipline in schools and colleges. What is the reason?

MR. CHAIRMAN: I request you to conclude now.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: The reasons must be found out. We will have to go to the root of it. One of the reasons is that political parties are involving the students into politics. Students should not be allowed to indulge in politics. I would appeal to all sections of the House not to inject the politics among the students in the colleges. They should be disciplined.

MR. CHAIRMAN: He is listening to you carefully.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: Students will have to learn discipline. Unless we make them understand that they are the future leaders of this nation, they will get frustrated. Why are they frustrated? Because lakhs and lakhs of graduates or educated youths are still unemployed. They are not getting any employment.

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. I have called Shri Balbir Singh.

SHRI DHIRENDRANATH BASU: I am concluding. I request the hon. Minister, through you, to provide more funds for the adult education and for teaching Hindi in all schools and colleges and in all primary schools throughout the country.

चौधरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, मैं इस शेर से शुरू करता हूं :

"मंजिलों को न पा सकेंगे वे रहनुमाई न
कर सकेंगे।

जिन्हें अभी तक दियार हस्ती में रहगुजारों
की जुस्तजू है।।

हमारे हिन्दुस्तान में शिक्षा के मैदान में जितना घपला हुआ है, उतना शायद किसी और बात में नहीं हुआ है। शिक्षा शास्त्री जो यह शिक्षा की नीति को बनाने वाले हैं और जो यह पिछले सालों में करते रहे हैं, उस सारे को पढ़ा जाए और देखा जाए, तो मेरा ख्याल है कि उन शिक्षा शास्त्रियों को किसी मेन्टल होस्पीटल में भेजने की जरूरत पड़ेगी। यह मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। वे शिक्षा शास्त्री बैठे और उन्होने कहा कि यहां इम्तिहान बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए इन को घटाया जाए। जब ये इन को घटाने के लिए बैठ गये, तो फ़ैसला क्या हुआ कि जहां पहले प्राइमरी में चौथी जमायत में इम्तिहान होता था, वहां आज चौथी में भी होता है और पांचवीं में भी होता है। फिर उन्होने कहा कि मिडिल का इम्तिहान बन्द हो जाना चाहिए और अब हम देखते हैं कि आठवीं में, नवीं में, दसवीं में, ग्यारहवीं में, बारहवीं में और सोलवीं क्लास में, एम०ए० और हर क्लास में इम्तिहान होता है। वे कहते तो यह थे कि इम्तिहान कम हों लेकिन उन्होंने जो उस का हल निकाला, तो हर साल इम्तिहान शुरू होने लगे। फिर उन्होंने कहा कि एक तरफ़ तो हायर सैकेण्डरी सिस्टम शुरू होगा यानी 11वीं जमायत तक पढ़ाई होगी और फिर कालेज में प्रि-यूनिवर्सिटी क्लासेज होंगी और जिस तरह की स्कीम ये लाएं उन्होंने यह दिखाया कि जैसे ये एजूकेशन सिस्टम को रिवोलूशना-इज कर देंगे, यह क्रान्ति ला देंगे। इस तरह से तालीम के मैदान में अरबों रुपया खर्च करने

[चौधरी बलबीर सिंह]

के बाद फिर यह कहा कि यह सिस्टम फेल हो गया है और अब यह नया सिस्टम शुरू किया गया है। पता नहीं किस आदमी के दिमाग की यह बात थी। अरबों रुपया खर्च करने के बाद एक सिस्टम इन्होंने निकाला था कि दसवीं और फिर बारहवीं क्लास के बाद इम्तिहान होगा और बी०ए० और एम०ए० यानी सोलहवीं क्लास का इम्तिहान होगा और यूनिवर्सिटी का वह इम्तिहान था। अब उस सब को इन्होंने बदलने की बात कर दी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हायर सैकेण्डरी सिस्टम को लागू करने के लिए इन्होंने पहले इन स्कूलों को ग्रान्ट दी और फिर जो कालेज हैं उन को ग्रान्ट दी। क्योंकि 11वीं क्लास स्कूलों में चल गई थी, इसलिए उनको ग्रान्ट दी और कालेजों को प्रि-यूनिवर्सिटी क्लासेज के लिए ग्रान्ट दी। उनके यहां क्लास का नम्बर घट गया और उनके यहां क्लास बढ़ गई, इसलिए इनको ग्रान्ट दी। अब आप देखें कि 10 प्लस 2 प्लस 3 की एक नई बात आ गई है। पहले 8 प्लस 3 प्लस 3 आया था लेकिन कहीं पर 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 भी कायम रहा। अब जो यह 10 प्लस 2 प्लस 3 आया है, इसका मतलब यह है कि जो गरीब लड़का पहले 14 साल में बी०ए० पास कर के, ग्रेजुएट हो कर बाजार में आता था और डिग्री प्राप्त करने के बाद यह सोचता था कि अब मुझे काम मिल जाएगा अब उस गरीब लड़के को 14 साल की जाये एक और साल लगाना पड़ेगा और गरीब आदमी पर एक साल का खर्चा और पड़ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये सब बातें जो आप चला रहे हैं, ये कैसे चलेंगी।

मैं आप को बताऊं कि पंजाब में, हमारे यहां की टीम हाकी में हार गई ओलम्पिक में, इस हारने का क्या नतीजा निकला? नतीजा यह निकला कि पंजाब में उन्होंने फिजिकल एजूकेशन कम्पलसरी कर दी। अब आप यह देखिये कि वहां पर फिजिकल एजूकेशन तो कम्पलसरी हो गई, लेकिन वहां पर टीचर का कोई इन्तजाम नहीं था। कम्पलसरी एजूकेशन किसी के दिमाग में आ गयी और उसको चालू कर दिया। इसमें भी हम हार गये। जब दुनिया के मुकाबले में हम किसी जगह पर नहीं आते तो हम उनकी नकल क्यों करते हैं? हमें पढ़ाई को एक प्लाण्ड तरीके से चलाना चाहिए। अगर आपको फिजिकल एजूकेशन देनी है तो बाकायदा-तौर पर आप टीचर्स का इंतजाम करें। आपने 10 जमा 2 जमा 3 शिक्षा पद्धति शुरू कर दी। इसमें क्या हो रहा है कि आपके टीचर्स को पता नहीं कि उनको क्या पढ़ाना है।

शिक्षा मंत्री जी को मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक बार पंजाब के हैडमास्टर मुझे हैडमास्टरों की कान्फ्रेंस में ले गये। उसमें हाई स्कूल और हायर सैकेण्डरी स्कूल के टीचर्स भी आये थे। वहां लेक्चर्स हुए और सभी ने अपने ग्रेड्स के बारे में बताया कि कोठारी कमीशन ने ये ग्रेड देने की सिफारिश की है। थोड़ी देर तो मैं सुनता रहा फिर मैंने कहा कि यह हैडमास्टर्स की कान्फ्रेंस है या शिक्षा वालों की? मैंने कहा कि कोठारी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तो बहुत सारी चीज़ हैं। उसमें यह भी है कि एजूकेशन क्या हो, क्या न हो? इस बारे में किसी ने भी बात नहीं की, सिर्फ अपने ग्रेड्स के बारे में सबने बात की हैं। सभी ने कहा कि हमें ये ग्रेड्स दिये जाएं। यह हमारा हाल है।

इसलिए मैं चाहूंगा कि बाकायदा एक स्कीम बना कर हम शिक्षा का काम करें। हमारे दिमाग में एक बात यह आ गयी है कि आठवीं क्लास के बच्चों को जिन्दगी में कुछ काम करने लायक सिखाया जाए। पांच साल का बच्चा पढ़ने बैठता है और 13 साल का होने पर आठवीं पास करता है। क्या 13 साल का बच्चा कमाई शुरू कर दे? इस उम्र के बच्चे को तो दूसरी बात सीखनी हैं, जनरल नालेज सीखनी है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने बर्धा स्कीम चलायी थी।

15–20 साल पहले स्कूलों में तकली और रुई सप्लाई की जाती थी। अब कहीं भी तकली और रुई दिखायी नहीं देती।

हमारे यहां के एक आदमी बाहर के मुल्कों में चले गये। वहां इंग्लैंड और अमेरिका की पढ़ाई देख आये। यहां आकर वे यह भूल गये कि हमारे यहां पढ़ाई के क्या साधन हैं? मेरे ख्याल में बाहर के मुल्कों में एक स्कूल का खर्चा हमारी एक यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ज्यादा होगा। हमारे यहां कोई अफसर हो जाता है और बाहर जाकर देख आता है कि वहां ऐसी पढ़ाई चल रही है और वही पढ़ाई वह यहां भी चालू करना चाहता है। वह चालू कर भी देता है और साल भर करोड़ों रुपया जाया करने के बाद फिर यह कहता है कि यह स्कीम नहीं चल सकती है। 15–20 साल पहले की बात है। पंजाब में डायरेक्टर आफ़ एजूकेशन थे। उन्होंने हिन्दी की पढ़ाई देवनागरी लिपि में डायरेक्ट मेथडस से शुरू कर दी। मैं एक कालेज कमेटी का प्रधान हूं। चार कालेज चला रहा हूं, 11 हाई स्कूल चला रहा हूं। मेरा एजूकेशन से थोड़ा ताल्लुक है। मैं जा कर उन डायरेक्टर से मिला और कहा कि अंग्रेजी के लिए तो डायरेक्ट मेथड की पढ़ाई ठीक है क्योंकि उसमें एक लफ्ज की कई आवाज होती है लेकिन हिन्दी में तो ऐसा नहीं है। यह तो एक बाकायदा लिपि में पढ़ाई जाती है। उन्होंने कहा कि नहीं जी आपको यह पता नहीं है। दस साल के बाद फिर उन्हें वही पुरानी पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। दस साल पहले उन्होंने जोर लगा कर डायरेक्ट मेथड शुरू कर दिया था। इस ढंग से एजूकेशन में जो तमाशा होता है उसको समाप्त किया जाए। दस जमा दो जमा तीन शिक्षा पद्धति पर पैसा जाया करने के बाद यह रिपोर्ट आ जायगी कि यह सिस्टम फेल हो गया है। फिर एक कमेटी बैठेगी और देखेगी कि यह सिस्टम फेल क्यों हो गया है जो चीज आपने शुरू करनी है उसके लिए आपको सब से पहले यह देखना चाहिये कि आप के पास फंड्ज हैं या नहीं हैं। फिजिकल एजूकेशन किसी प्रकार की शुरू करनी है तो सब से पहले आपको यह देखना चाहिये कि फंडज हों और उसके बाद साथ साथ साथ यह देखना चाहिये कि उसके लिए टीचर्ज आपके पास पहले से तैयार हों। किसी भी स्कीम को लागू करने से पहले यह भी देख लिया जाना चाहिये कि उसकी किताबें आपके पास तैयार हों और उन किताबों को पढ़ाने वाले निपुण अध्यापक हों। आज होता यह है कि आप कोई नया सिस्टम तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसके बाद जब आप देखते हैं कि आपके पास टीचर नहीं हैं तो आप टीचर तैयार करना शुरू करते हैं और जब तक टीचर तैयार हो कर निकलते हैं उतनी देर के बाद फिर आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि स्कीम फेल हो गई है और यह स्कीम चलेगी नहीं।

खेल जगत में हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है। हमारे पास सोने का तगमा अंग्रेजी के जमाने में हुआ करता था। नेहरू जी के जमाने में वह घिस कर चांदी का हो गया। इंदिरा जी के राज में वह कांसे का हो गया। अब वह हमारे पास कांसे वाला भी नहीं है। यह सिर्फ हाकी की ही बात नही है। दुनिया के मुल्कों को आप देखें। जिन का दुनिया के नक्शे पर कोई स्थान नहीं है, जो उस पर नजर भी नहीं आते हैं, सिर्फ बिन्दी ही लगी आपको मिलेगी, कुल एक लाख की उनकी आबादी है, वे सोने के तगमें लिए हुए हैं। हमारे पास टेलेंट न हो ऐसी बात नहीं है। हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं है। हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है? जो खिलाड़ियों का चुनाव करने वाले हैं वे यह देखते हैं कि उनके दोस्तों के बच्चे आ जाएं, उनके बच्चे आ जाएं, भाई भतीजावाद वहां पर चलता है। जो असली खिलाड़ी हैं उनको धक्के मार कर बाहर फेंक दिया जाता है। दौड़ने में अगर कोई बाजीगर है या दूसरे लोग हैं जो बहुत निपुण हैं उन में से हम बच्चे लें और उनको तैयार करें, उनको अच्छी ट्रेनिंग दें तो इसके बहुत अच्छे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं।

[चौधरी बलबीर सिंह]

हर किस्म का मसाला हमारे पास मौजूद है। उसको सिर्फ तरतीब देने की जरूरत है। अगर आपने ऐसा किया तो तमाम देश को आप काफी ऊंचा ले जा सकते हैं। चन्द बच्चे जो आगे आ चुके हैं उन्हीं पर पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं होगा।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि एजुकेशन का जो सिस्टम है इस में आप 10 प्लस 2 प्लस 3 लागू करने में जल्दी न करें। इस पर जरा और आप सोच विचार कर लें। फिर इसको आप शुरू करें। आप देखें कि हायर सैकेंडरी की तरह अरबों रुपया जाया न हो जाए।

SHRI CHARAN NARZARY (Kokrajhar): Madam Chairman, I am speaking in support of the Government Demands for Grants under the head 'Education'. I want to make a few general observations.

16 hrs.

The system of our education is a pyramidic structure, as you all know with Universities at the top, having massive dimensions at the base, sustained by innumerable pillars known as the primary schools. Now the standard of our education has fallen because the basic pillars of our education have been decaying due to lack of proper nourishment. That is why, I would request the Education Minister to give proper attention to primary education. There is lack of uniform educational policy in our country because we have seen that different States have adopted different educational policies. This lack of uniform educational policy has seriously disturbed the academic life of the students in general all over the country. On the other hand, the constitutional provisions for safeguarding the language and education of the minority sections of the country have not been properly implemented. The reorganisation of States on linguistic basis has given rise to the emergence of chauvinism of regional languages in different States. As a result, in certain States people who speak their own languages other than the regional languages have suffered a lot. This is a serious problem and the minister should look into it with proper care.

Hindi should remain the national language and there is no disagreement on this point. But side by side, English should also remain in India as a link language between the Hindi-speaking people on the one hand and people who do not speak Hindi on the other. This retention of English should continue till such time when English may be replaced by or our national language which is invariably Hindi.

The tribal languages in different States have not been encouraged properly. Those linguistic groups of the country who do not have a script of their own should be given the Devanagari script. To cite an example, in Assam, the Bodo speaking tribal people have adopted Devanagari script for the Bodo language. Most of the hon. members of this House, I am sure, do not know anything about Bodo people in Assam. If you do not know the Bodo people, it will not be possible to know Assam properly, because as has been admitted by historians, anthropologists and other scholars, 70 per cent of the Assamese language and culture is the contribution of the Bodo people. These people are a militant tribal group who built up a vast empire in north-east India and ruled there for ages together. They are known by different names. From time immemorial they have developed their distinctive culture and civilisation and in the days of Ramayana, Mahabharata and Puranas, they were known as Kirato. They were a militant people and they have been a vital factor in the north-eastern region from the point of national defence too.

Now, the language of the Bodo people has been recognised as the medium of instruction at the primary stage in 1963 and they have got this re-

cognition after a series of agitations for years together. Ultimately, in 1963, this language was recognised as the medium of instruction at the primary stage. After the introduction of Bodo language at the primary stage of education, there arose the question of introducing it at the secondary stage of education also. The Bodo people had to launch a serious agitation and ultimately, in 1968, the Bodo language has been recognised as the medium of instruction up to the secondary stage and in 1976 this Bodo language has been recognised as the modern Indian language by Gauhati University. The total number of the Bodo-speaking people in the whole of the North-East India will be over 20 lakhs. Although the Bodo language has been introduced as the medium of instruction up to the secondary stage and although Devanagari has been adopted by the Bodo people for their language in 1976, no proper care has been taken for the implementation of teaching in Bodo medium as well as Devanagari script. Devanagari has been accepted by the Bodo people at a very great cost. They have to launch a big agitation at the cost of 18 lives. They had to accept the Devanagari script.

Many of the hon. Members have been speaking on the floor of this House that Hindi should be introduced in all States and Devanagari script should be spread for the languages of those linguistic groups who do not have any script of their own. Even then, no concrete step has been taken so far by the Government for this purpose. In Assam for Bodo medium students there are over 3,000 primary schools and most of the schools are running without teachers, without text books, without Government assistance, without school buildings and the State Government is also not giving proper attention to this problem. Time and again repeatedly, the Bodo Sahitya Sabha made representations to the State Government as well as to the Central Government. Nobody bothered for them. Devanagari script has been introduced, but the teachers teaching in Bodo medium are not acquainted with Devanagari script and since the script has been given to them, the Bodo medium teachers should be trained properly and for that special arrangement has to be made. The Bodo Sahitya Sabha has been demanding it. In my own home town, the basic training school where the Bodo medium teachers receive their training, should be converted into a full-fledged training centre of Devanagari Script. That is not being done.

The total number of secondary schools in Assam alone will be over 200 where teaching is in Bodo medium. But most of the tribal schools are also running without teachers, without financial assistance from the Government and the condition is so pitiable that repeatedly the Bodo people have to resort to agitation. It is very unfortunate. That is why, what we have been demanding is that education, if possible should be made a Central subject. If that is not possible, it should be made a concurrent subject, but not a State subject. We are opposed to the concept and idea of including Education in the State list.

Madam Chairman, I would like to request the hon. Education Minister to make a separate allocation of funds for the proper implementation of Bodo medium education in Assam. The present department of education in Assam is not competent enough to cope with the problem which has arisen in this regard. That is why the Bodo Sahitya Sabha has been demanding a separate directorate for Bodo-medium education. At the same time, a separate allocation of funds should be made by the Central Government. Since Devanagari has been accepted by the Bodo people at the instances of the Central Government in 1976, it is obligatory for the Central Government to look after the proper implementation of Devanagari script for the Bodo language. Otherwise, there

[Shri Charan Narzary]

would be no meaning in accepting it by those people. We are for the nation. We are the defenders in the northeastern region; and if we are to give priority to the question of maintaining the solidarity and integrity of the country by defending the borders in the northeastern India, I believe the Central Government, and particularly the Education Ministry should give proper attention to the academic life of those people.

MR. CHAIRMAN: You should conclude now.

SHRI CHARAN NARZARY: I did not speak on any other subject during this whole session so far. That is why I want to speak for few more minutes now.

MR. CHAIRMAN: I have got a list of speakers who have not also spoken earlier in the session. Please conclude in two minutes.

SHRI CHARAN NARZARY: One more point. Every year, a large number of Bodo students learning in the Bodo medium, are coming out of the high schools, after the Matriculation examination. After that, where will they go? There is no scope for them for having higher education in colleges, because there is no scope for their admission into these colleges, where Bodo has not been introduced as a language subject. That is why colleges have to be started for them; and in my own constituency, at Ramfalbil (Kokrajhar), one such college has been started by the public, under the name and style "Janata College" out of public contributions. The college authority made representations to the State Government, seeking permission, but there was no help. No permission has been accorded by the State Government yet. In the meantime, the number of students is increasing alarmingly.

If, in the interest of tribal education, the Government does not take special care, what will be the fate of those unfortunate boys and girls? It is a serious problem for us. That is why, there is recurrence of unfortunate incidents, troubles and agitations in Assam. If all these problems have to be solved, Government should take certain effective measures and issue special directions to the State Government, to implement the Constitutional provisions and central directives, so that the aspirations of those people are fulfilled.

MR. CHAIRMAN: You should conclue now. I will have to call the next speaker. Mr. Sathe.

SHRI CHARAN NARZARY: With these words, I conclude and hope that something positive will be done by our Education Minister, who is a renowned scholar with a good sense of human understanding.

SHRI VASANT SATHE (Akola): Madam, today while speaking on the Demands of the Ministry, I want especially to deal with the Department of Social Welfare and Culture. Normally, this wing is not touched very much. We talk so much about general education, which is very important, but I find that this Department is with the hon. Minister, with the assistance of few capable State Minister, Shrimati Barakataki and surprisingly the amount provided for social welfare is Rs. 12.82 crores in 1977-78, which comes to less than about 20 paise *per capita*. I do not know whether from this pittance of an amount much welfare can be achieved. Then this will include the Integrated Child Development Service programme for the entire children of the country, welfare of women, rehabilitation of destitute women, adult education, sports and, most of all, the various social welfare activities that are supposed to be undertaken like problems of juvenile vagrancy and delinquency, beggary, prostitution, alcoholism, drug addition etc. All this has to be managed by this Department. I wish my hon. friend the Minister luck in this. I do not know how he

is going to achieve this. But there are certain matters which I would draw his attention to, where we must adopt a rational attitude towards certain social welfare measures.

I will take first the question of prohibition. I am afraid, if we launch on this prohibition policy as a fad, we are going to be in difficulties. Prohibition is necessary, people should not be addicted to drinking because alcoholism is bad. But can you achieve prohibition by law, by legislation, or the way you are going about it? This has not been achieved throughout the centuries of human nature, either in this country or in any part of the world. Even in this country in those States where it was tried, it failed. Temperance is good and we should try to have it. For example, in the working class area you can say there should be no pubs or selling points. You can put them outside these areas or mill areas. I can understand that. You should regulate it. But to say that there should be total prohibition, the way you want to do it, I am afraid, it is bound to fail. Today we are having a slogan "do not have whisky; go in for pisky." It is madness. The slogan is:

छोड़ो शराब, पियो......

I do not want to utter that word. I am told, I would like it to be confirmed, that one day Mr. Raj Narain was going by the British or some other airlines abroad, and the stewardess or air hostess came and asked him: "Will you have coffee or tea?" and he said "No, pee." She kept the honour of her service, that is a different story, but we will become the laughting stock of the world. This is all I want to say about prohibition.

Then I come to a question which is seldom touched, namely the rehabilitation of destitute women. As long as we have this system of economy where everything is marketable, with the law of demand and supply, even human beings have to sell themselves, in urban areas. People go from Bihar, U.P., Bengal etc., to big cities like Bombay and stay alone. It is a regular human problem. Therefore, when there is a demand, you will find that women, poor women, are ready to sell themselves. How do you approach this problem? You should have coordination with your friend, the Health Minister. The growth of venereal diseases in the urban areas is staggering.

AN. HON. MEMBER: What did you do in the last 30 years?

SHRI VASANT SATHE: On every question you bring in the last 30 years. Morarji Desai was there for 20 years out of the 30 years. Let us take the totality.

MR. CHAIRMAN: Kindly confine yourself to the subject and do not get interrupted. You started with Rs. 12 crores. Please go back to the Rs. 12 crores.

SHRI VASANT SATHE: Do you know that this rehabilitation is a subject under this Ministry?

MR. CHAIRMAN: I know that. Therefore, I request you to be brief.

SHRI VASANT SATHE: I am dealing with that.

That has also to be aproached in a practical manner. See to it that these people are treated properly, medical attention is given, that the disease does not spread, that they are educated and rehabilitated, that these girls do not have to sell themselves. This is how the problem has to be tackled.

Then I come to the question of our culture wing. We have the Sangeet Natak Akademi and the Lalit Kala Akademi. You will be surprised to know that both these Akademis have been without a regular Secretary for the last four years. In the Lalit Kala Akademi there is one gentleman who is called Professor, but I am told he has never been a Professor anywhere. He has been working as Secretary.

[Shri Vasant Sathe]

He goes round the country collecting material, photographs and films which he keeps for himself and does not give even a copy to the Akademi. This is the state of affairs.

Not only this. He wrote a book, he wanted the Akademi to publish it and took some advance—Rs. 7,000 for publication and Rs. 14,000 for photographs. When the Akademi came to know about it, they said that they were not going to sanction it and that they did no want to publish that book. When that was done, he tried to have some other body published it, but the amount was not refunded. This is the type of people you have got. And what were the photographs in that book? Photographs of his wife's dancing. But nobody had heard the name of that lady in the country.

Another very surprising thing that struck me is this. I believe the Sangeet Natak Akademi is under the charge of Mrs. Barakataki. But it Sangeet Natak Academy, can you imagine that a Joint Secretary becomes the Vice-Chairman of the Academy? That means the right hand is the giver and the left hand is the taker, because the Chairman is an old lady, a nominal Chairman, a good great lady. All the activities of the Academy are conducted by the Vice-Chairman and that Vice-Chairman happens to be the Joint Secretary of the Ministry. No, this sort of thing is scandalous. Kindly see to it that the evaluation of these two organisations is done. What is their contribution?

MR. CHAIRMAN: You have taken 11 minutes for 10 minutes.

SHRI VASANT SATHE: In between, you took my one minute. I would say that these are imortant academies. Let us have an evaluation regarding them. What have they contributed to the development of dance, drama and music in the last so many years since the Academy came up? Unless there is a proper evaluation made, unless you do something to further encourage new talent in this country, it will not help. This is our latest heritage. I conclude with the famous couplet.

साहित्य संगीत कला विहीन : -
साभात् पशु पुच्छ विषाण विहीन :

Therefore, you must encourage these arts. Kindly do not neglect this general education. Of course, we know what mess we are making there, but, at least, in this small field, if we can do something to preserve this heritage to encourage new talent in this country, it will help us. When people from outside come to India, they come to see two things: our spritual heritage and another our cultural heritage of which you are also a great symbol, madam Chairman and I wish your example is followed by others.

श्री श्याम सुन्दर दास (सीतामढ़ी) सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रालय की डिमांडज का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विषय पर कुछ कहने से पहले मैं मंत्री महोदय का ध्यान कल के समाचारपत्रों में प्राकाशित एक समाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। शिक्षा मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 10+2+3 की पद्धति सर्व-मान्य हो गई है और उस को अब लागू किया जायेगा। मुख्य मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भी इस को मान लिया है और राज्यों के एजूकेशन बोर्ड अब इस को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कल के समाचारपत्रों में, इंडियन एक्सप्रेस में, प्रकाशित हुआ है कि 10+2+3 टु बि स्क्रैप्ड सून, और उस के बदले में 8+4+3 की स्कीम लागू की जायेगी। अखबारों में वर्णित है कि शिक्षा की क्या पद्धति हो और शिक्षा की क्या नीति हो, शायद इस बारे में प्रधान-मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी की राय भिन्न है। अगर शीर्ष

स्थानों में शिक्षा के बारे में इस प्रकार भयंकर मतभेद होगा, तो स्वाभाविक रूप से इस मतभेद का असर शिक्षा संस्थाओं पर, शिक्षकों पर और राज्य सरकारों के ऊपर पड़ेगा। दुर्भाग्य से इस देश में शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था रही है जिस में बराबर प्रयोग होते रहे हैं और कोई भी प्रयोग किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। तो इस माने में एक स्पष्ट नीति सरकार की होनी चाहिए और कम से कम जो बाकी चार वर्ष हैं जनता पार्टी की सरकार के उन चार वर्षों में उन नीतियों का कार्यान्वियन होना चाहिए। पांच में से एक तो समाप्त हो चुका है। अब यह मान लेते हैं कि कोई मतभेद नहीं है, अर्थात 10 प्लस 2 प्लस 3 वाला ही लागू होगा।

इन की रिपोर्ट में जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार इन्होंने स्कूल ऐजके अन प्राइमरी एजूकेशन और एडल्ट एजूकेशन पर ज्यादा जोर देने का प्रयास किया है, इस के लिए मैं इन को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पार्टी के वादे को निभाया है। प्राइमरी एजूकेशन और एडल्ट एजूकेशन में कौन सी बाधाएं होती हैं उन बाधाओं की चर्चा हुई है लेकिन सारी रिपोर्ट को देखने से यह नहीं लगता हैं कि बाधाओं के निराकरण के लिए सरकार राज्य सरकारों के साथ मिल कर कोई स्पष्ट रास्ता निकाल रही है। बल्कि रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए हैं कि स्कूल गोइंग एज के लड़कों में करीब 87 प्रतिशत लड़के स्कूल जाते हैं, लगता है कि वह आंकड़ा सरासर गलत है। बिहार और उत्तरप्रदेश में अगर किसी एक प्रखण्ड का भी सर्वे कराया जाये तो उस से स्पष्ट हो जाएगा कि स्कूल गोइंग एज के इतने परसेंट लड़के हरगिज स्कूल नहीं जाते। पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं वे थोड़ी ही उम्र के बाद थोड़ा बहुत कमाने भी लगते हैं। भोजन और आवास की जो उन की आर्थिक विवशता है जिस के कारण वे स्कूल नहीं जाते हैं अब तक उस के समाधान का कोई उपाय नहीं होगा तब तक शायद प्राइमरी एजूकेशन में कोई ज्यादा सुधार संभव नहीं होगा।

जहां तक एडल्ट एजूकेशन में सुधार की बात है, बहुत पहले भी यह बात आई थी, एडल्ट एजूकेशन के लिए तत्कालीन सरकार ने प्रयास किया था। दुर्भाग्य से एडल्ट एजूकेशन के नाम पर देहातों में जो लालटेनें दी गईं और जो स्लेटें बांटी गईं वह पैसा ज्यादातर बरबाद चला गया। मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा न हो कि एडल्ट एजूकेशन के नाम पर इतनी जो स्कीम लागू करने जा रहे हैं उस का भी यही हाल हो क्यों कि जब तक उस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम ऐडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टूमेंट फोर्ज नहीं करते हैं, उस की मशीनरी डेवलप नहीं करते हैं और वालंट्री एजेंसीज की तरह की एजेंसी या जो सोशल वर्कर्स हैं उन की जमात से हम संगठित नहीं करते हैं तब तक शायद एडल्ट एजूकेशन पर जो पैसा खर्च होगा वह पैसा शायद बरबाद हो जाएगा और उस का असर सिर्फ प्राइस बढ़ाने पर होगा क्योंकि वह अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडीचर के रूप में चला जाएगा।

जहां तक हायर एजूकेशन का सवाल है, सेकेन्ड्री एजूकेशन में प्लस 2 स्टेज में वोकेशनलाइजेशन की बात की गई है। यह भी हमारे घोषणा पत्र के अनुसार है और गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार है कि कार्य और शिक्षा में एक संबंध हो। लेकिन दसवीं कक्षा तक अब मैन्युअल लेबर या ब्रेड लेबर की ओर बच्चे की रूचि पैदा नहीं करते हैं तो दो साल उस को वोकेशनलाइजेशन अगर हम देंगे तो शायद उस का वांछित परिणाम नहीं निकलने जा रहा है और अभी तक शायद अधिकांश जो सेंट्रल स्कूल्स हैं या दूसरे भी स्कूल्स हैं उन के शिक्षकों को, वहां के प्राचार्यों को यह पता नहीं है कि यह वोकेशनलाइजेशन किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। रिपोर्ट से एक अच्छी बात निकलती है कि कम से कम

[श्री श्याम सुन्दर दास]

नये कालेज खुलने की जो प्रकिया थी उसमें रुकावट आई है और जो यूनिवर्सिटीज का एनरोलमेंट है उसमें स्टैबिलाईजेशन हुआ है। बहुत पहले एजूकेशन में 15 परसेंट खर्चा हायर एजूकेशन पर होता था लेकिन इधर एक तिहाई खर्चा हायर एजूकेशन पर होता है। लेकिन हायर एजूकेशन में, खास कर कालेजेज और विश्व-विद्यालयों में अधिकांश जगहों में स्तर में भारी गिरावट आई है। खास तौर से रिसर्च के नाम पर भयंकर भ्रष्टाचार पनप रहा है। पी एच डी और डी लिट में एग्जामिनर और एग्जामिनी, दोनों का ही कामन इन्ट्रेस्ट रहता है। जो गाइड होते हैं उनके लिए भी यह बात रहती है कि उनके अन्तर्गत कितने पी एच डी पैदा हुए। यही एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें दोनों का कामन इन्ट्रेस्ट रहता है। यू जी सी ने रिडर्स और प्रोफेसर्स के लिए पी एच डी कंपलसरी कर दी है जिसके कारण इसमें बाढ़ आ गई है। कई विधान सभाओं में ऐसी जाली थेसिस पेश की गई हैं जिनको एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में लाक स्टाक ऐंड बैरल ले कर उस पर डिग्री दी गई है। तो इस तरह की स्थिति रिसर्च क्षेत्र में है। हम देखते हैं कि यू जी सी के कारण यूनिवर्सिटीज को ज्यादा पैसा मिला तो शिक्षकों की संख्या भी बढ़ गई है लेकिन उनका वर्कलोड घट गया है। बहुत पहले एक यूनिवर्सिटी टीचर को सप्ताह में 18 क्लासेज लेने पड़ते थे लेकिन आज कई यूनिवर्सिटीज में एक यूनिवर्सिटी टीचर को सप्ताह में 5–6 क्लासेज लेनी पड़ती हैं। इस तरह से आर्टिफिशल ढंग से स्पेशल ग्रुप्स ने नाम पर स्पेशल कैटेगरी आफ टीचर्स बहाल किए जाते हैं। इस प्रकार से शिक्षकों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन पढ़ाई का जो स्तर है वह घटता है। इस प्रकार से वर्किंग आवर्स तो घटते हैं लेकिन रिसर्च हो नहीं पाती है। इस तरह से जो सारी शिक्षण व्यवस्था है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि प्लानिंग जो हुई उसमें सिद्धांत: कोई दोष नहीं है तो इतना निर्विवाद रूप से मानना पड़ेगा कि उसका जो भी इंप्लीमेंटेशन हुआ है राज्यों में वह बहुत गलत तरीके से हुआ है। यूनिवर्सिटीज में ग्रुप पालिटिक्स चल रही है, कास्ट रायट्स होते हैं। कम से कम उत्तर भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय किसी न किसी प्रकार के कर्मचारियों की हड़ताल, विद्यार्थियों या शिक्षकों की हड़ताल के कारण बन्द रहते हैं। एक तरफ केन्द्रीय शिक्षा मंत्री स्वीकार करते हैं कि हायर एजूकेशन को नेतृत्व देने का काम केन्द्रीय सरकार का है यू जी सी के माध्यम से, यदि इस नेतृत्व का कुछ परिणाम होता तो विश्वविद्यालय में शिक्षा स्तर में उन्नति होती, शोध कार्य होते तथा अनुशासित छात्र पैदा होते परन्तु ऐसी स्थिति देखने में नहीं आ रही है। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो जितनी भी आल इंडिया कांपिटीटिव सर्विसेज हैं उसमें यह ठीक है कि पिछले कई वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कों का पर्सेन्टेज बढ़ता गया है लेकिन वहीं दूसरी ओर स्कूलिंग के आधार पर जो आंकड़े दिए गए हैं—खासकर यू पी एस सी की 26वीं रिपोर्ट में 75 तक के आंकड़े दिए हैं उसमें बताया गया है कि हर साल सेन्ट्रल स्कूल से शिक्षा पाये हुए लड़कों का प्रतिशत बढ़ता गया है, पब्लिक स्कूल्स की शिक्षा पाये हुए लड़कों का प्रतिशत बढ़ता गया है। सेन्ट्रल स्कूल और पब्लिक स्कूल—दोनों को मिला कर करीब करीब 42–45 परसेंट लड़के कंपीट करते हैं। यह ठीक है कि स्कालरशिप के द्वारा कुछ गरीब आय के लोगों के लड़कों का प्रवेश मिला, लेकिन कुल मिला कर स्थिति यह है कि आज भी जो सामान्य आय के आदमी हैं, उन के लड़कों को केन्द्रीय स्कूलों या पब्लिक स्कूलों में स्थान नहीं मिल पाता है। जिस के कारण

उन को टाप सर्विसिज में स्थान पाने में कठिनाई होती है। इस लिये यह जो एलीटिस्ट ट्रैण्ड डवलेप हो गया है, उस पर कुछ रोक लगनी चाहिये।

मैं शिक्षा मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि डेवलपमेंट के एफर्टस के साथ एजूकेशनल-प्लानिंग को भी जोड़ा जाए। आप जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं, स्माल-स्केल इण्डस्ट्रीज की तरफ जाना चाहते हैं, उस के लायक ह्यूमन पर्सोनल ट्रेण्ड हो सकें, इस तरह की इंस्टीचूशन्ज के निर्माण की दिशा में भी आप को प्रयत्न करना चाहिये, ताकि जिस तरह की अर्थ व्यवस्था हम लाना चाहते हैं, उस के लिए हमारे पास मैनपावर तैयार हो जाय।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : सभापति महोदया मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन ही नहीं करता हूं, अपितु इस बात पर खेद भी प्रकट करता हूं कि शिक्षा मंत्रालय को जितना धन मिलना चाहिए था, उस का यह 10वां हिस्सा भी नहीं है। इस का मूल कारण यह है कि आजादी के पश्चात जिन लोगों के हाथों में देश का भाग्य आया, जिन्होंने इस देश की योजनायें बनाईं, उन के दिमाग में इस देश का केवल भौतिक ढांचा ही था, इस देश का जो जीवित ढांचा था, जो भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसका ध्यान उन्होंने नहीं रखा। साधनों की उन्नति पर उन्होंने पूरा बल दिया, रोटी-कपड़ा और मकान का नारा लगाया, लेकिन इन्सानों की उपेक्षा कर दी गई, जिस का परिणाम यह हुआ कि मानव दानव बन गया। इस देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी, कालाबाजार जोर पकड़ गये और सरकार के बनाये हुए ढांचे को इन्सान ने ही समाप्त करना शुरू कर दिया।

देश की शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है? देश में व्याप्त निरक्षरता को दूर करने के लिये 1967 में विचार किया गया और यह विचार किया संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सांस्कृतिक समिति ने। उस का निर्णय था कि भारत में 334 मिलियन लोग निरक्षर हैं, जो विश्व की जनसंख्या का दो-तिहाई हैं। इस लिये यूनेस्को ने सब से पहले अपना कार्य भारत में प्रारम्भ किया। यह स्थिति 1967 की है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ थोड़ा-बहुत काम हुआ, उस में लड़कियों की शिक्षा की तो सर्वथा उपेक्षा कर दी गई। लड़कियों की शिक्षा हो या न हो, लेकिन एक बात मैं शिक्षा मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं—वे इस बात को नोट करें—राष्ट्र की वास्तविक निर्मात्री शक्ति यदि कोई है, तो वह "माता" है। उस के निर्माण करने से केवल एक परिवार ही नहीं बनता, अपितु एक बहुत बड़ा समाज बन जाता है। परन्तु खेद इस बात का है कि हमारे यहां न केवल राज्यों में, बल्कि केन्द्र में भी लड़कियों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आज व्यवस्था इस प्रकार की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या बिल्कुल नगण्य हैं। प्राइमरी स्कूल की शिक्षा तो उन्हें कहीं-कहीं मिल जाती है, लेकिन हाई-स्कूल का तो नाम ही नहीं है, बड़ी ही दयनीय अवस्था है। भारतवर्ष के सामने आज शिक्षा की उपेक्षा का जो कुपरिणाम आया है, इस के लिये मैं खास तौर से कहना चाहूंगा—भारतवर्ष का प्रजातन्त्र आज खतरे में पड़ गया है। आज भारतवर्ष का प्रजातन्त्र एक ढोंग, एक तमाशा है। इस समय प्रजातन्त्र का जो ढांचा खड़ा किया जाता है, उस में इलैक्शन्ज होते हैं और ये इलैक्शन्ज जातिवाद के आधार पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रान्त के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर,

[श्री प्रोम प्रकाश त्यागी]

होते हैं। उसी आधार पर लोग चुन कर आ रहे हैं और यही चीज आज हमारे देश को खा रही है। जितनी भी योजनायें हम बनाते हैं, हम को जनता का सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जनता, जो इस देश की अपढ़ जनता है, वह उन योजनाओं को समझ नहीं पाती है, राजनीतिक सिद्धान्तों को नहीं समझती है। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में उन को अन्तर नहीं मालूम है। इन्दिरा गांधी अगर जबर्दस्ती नसबन्दी न कराती तो तानाशाही चलती रहती। इस देश को कोई चिन्ता की बात नहीं थी क्योंकि जनता को जानकारी नहीं है। इसलिए अगर देश को बचाना है, इस देश के आर्थिक ढांचे, सामाजिक ढांचे और प्रजातान्त्रिक ढांचे की रक्षा करनी है तो, सरकार को शिक्षा पर अधिक बल देना होगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि फर्स्ट प्लान में जबकि शिक्षा पर बजट का 6 परसेन्ट एलोकेशन था, उस के बाद वह एलोकेशन 5 परसेन्ट हुआ, फिर 4 परसेन्ट हुआ और अब यह घट कर 3.5 परसेन्ट हो गया है। इस का मतलब यह है कि हम ने अपनी भूल का सुधार नहीं किया है। मेरा कहना यह है कि बजट का 10 परसेन्ट हमें एजूकेशन पर खर्च करना चाहिए और जब तक इस देश में अनिवार्य शिक्षा नहीं होगी, तब तक प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देने की आप घोषणा नहीं करेंगे, तब तक यहां काम नहीं बनेगा। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से आप ने आर्थिक क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है, उसी प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी घोषणा कीजिए। इस प्रकार से हम देश के मानव समाज को, मानव राष्ट्र को बना कर खड़ा करेंगे। केवल पत्थर की सड़कें और हवाई जहाज बनाने में ही हमारा धन खर्च हो रहा है। जो उन का प्रयोग करने वाले हैं उन की उपेक्षा की है। आज हम कुत्तों की नसल सुधारने में लगे हैं, बिल्लियों की नसल सुधारने में लगे हैं, सांड और घोड़े की नसल सुधारने में लगे हैं और अनाज की नसल हम बनाने जा रहे हैं लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ओर हमारा ध्यान नहीं है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति है। तो मैं यह कहता हूं कि स्कूल में जो बच्चे जा भी रहे हैं, उन में से जो गरीब आदमी हैं, जिन के पास खाने का कोई साधन नहीं है, वे गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेज सकते। स्कूल में भर्ती हो जाने के बाद, प्रवेश पा जाने के बाद 74 परसेन्ट बच्चे आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, काश्मीर, जम्मू, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल में निकल कर चले जाते हैं। लड़कियों में इस देश में केवल दो-तिहाई को स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। निर्धन परिवारों के बच्चों की ओर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। दूसरी ओर मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश को जो सब से बड़ा खतरा है वह गरीबी और निरक्षरता से है।

प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप को देश का विकास करना है, तो आप को इन की साक्षरता की तरफ़ ध्यान देना होगा, इन की एजूकेशन की ओर ध्यान देना होगा। यह एक धन्यवाद की बात है कि सरकार का इस ओर ध्यान गया है और सरकार ने यह ऐलान किया है कि हम पांच वर्षों में 100 मिलियन लोगों को साक्षर बनायेंगे लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अगर 100 मिलियन साक्षर आप बनाएंगे तो 100 मिलियन जो छोटे बच्चे हैं वे निरक्षर पैदा हो जाएंगे। इसलिए दोनों को आप साथ साथ ले कर चलें। जो प्रौढ़ हैं उन को साक्षर बनाइए और जो बच्चे हैं उन को अनिवार्य शिक्षा आप दीजिए ताकि बीमारी आगे पैदा न हो। इसलिए मैंने इन बातों की तरफ़ आपका ध्यान खींचा है। इसके अलावा भेदभाव को खत्म करने के लिए जो आप के पास महत्वपूर्ण योजना है, उस को आप खत्म न करें।

प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। आप प्रौढ़ शिक्षा को जल्दी करना चाहते हैं, तो बच्चों की शिक्षा में और प्रौढ़ों की शिक्षा में आपको अन्तर करना होगा। छोटा स्वरूप बना कर साक्षर बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने आप पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, इन सब चीजों को आप ध्यान कर लीजिए और सब चीजों को ध्यान में रख कर मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि साक्षर बनाने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए युद्ध स्तर पर आप को योजना बनानी होगी। गवर्नमेंट इस काम को नहीं कर सकेगी। आपको सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य पार्टियों का सहयोग इसमें लेना होगा। स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों एवं अन्य लोगों का भी सहयोग ले कर ही इस काम को चलाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक शिक्षा सेना का गठन करना होगा। जिस तरह से आपने देहातों में काम दिलाने के लिए सेना गठित करने का प्रस्ताव किया है, उसी प्रकार की आप शिक्षा सेना भी बनाइये। जिस तरीके से रूस और चाइना में यह बनायी गयी, उसी तरीके से यहां भी बनाइये।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि रूस में जब 1920 में क्रान्ति हुई, 80 प्रतिशत लोग निरक्षर थे। रूस वालों ने 1930 और 1940 तक अपने यहां लोगों को पूर्ण साक्षर बना कर खड़ा कर दिया। इसी तरह से चाइना में स्कूल बन्द कर पठित लोगों को देहातों में भेज दिया गया और उनको कह दिया गया कि तुम सब लोगों को साक्षर बनाओ। उन्होंने कहा कि अगर एक साल पढ़ाई नहीं होगी तो कोई बात नहीं हो जाएगी। आप भी यह कर सकते हैं। जिस समय जनता पार्टी का उदय हुआ, जिस समय देश में परिवर्तन आया, उस समय इस देश में बड़ा जोश था। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार उसका लाभ नहीं उठा पायी अन्यथा इस देश में एक बड़ा आन्दोलन साक्षरता के लिए चलाया जा सकता था।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि आपको इस काम के लिए बोर्ड बनाने होंगे। केन्द्र स्तर पर, प्रान्तीय स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, सभी स्तरों पर शिक्षा बोर्ड बनाने होंगे जो लोगों को साक्षर बना सकें। आपको एक नारा भी लगाना होगा कि एक पठित आदमी कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाये। जब तक इस देश में यह नारा नहीं लगाया जाएगा तब तक यह समस्या दूर नहीं होगी।

MR. CHAIRMAN: It is time for you to conclude now. Mr. Tyagi.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : आप शर्त लगा दीजिए कि हर पठित व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनायेगा।

MR. CHAIRMAN: I have got a long list. Please co-operate. Others have also to speak.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं दस जमा दो जमा तीन शिक्षा पद्धति के बारे में कहना चाहूंगा कि शिक्षा का ढांचा आप इस प्रकार का बनाइये जिससे उसमें योग्यता आये। अब तक नौकरी दिलाओ शिक्षा पद्धति ही आपके सामने रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आठवीं कक्षा तक की शिक्षा बहुत आवश्यक है। उसके बाद विद्यार्थी यदि बुद्धिमान है तो उसे कालेज या यूनिवर्सिटी में भेजा जाए, नहीं तो उसे औद्योगिक क्षेत्र में भेजा जाए। आठवीं कक्षा के बाद ही उसे वहां ले जाइये, उसके दो साल खराब मत कीजिए। इस प्रकार की शिक्षा जो इंसान को इंसान बनाये, अपने स्कूलों और कालेजों में चलाइये। मुझे खुशी है कि आप इस प्रकार की योजना भी बना रहे हैं।

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

सभापति महोदया, मैं एक बात कह कर खत्म करना चाहूंगा।

MR. CHAIRMAN: I am sorry, I had requested you....

SHRI OM PRAKASH TYAGI: Two minutes more, Madam.

MR. CHAIRMAN: I am sorry.

श्री ओम प्रकाश त्यागी: आपने मेरे लिए घंटी बजा दी। बस मैं एक मिनट में खत्म कर देता हूं। वोकेशनल स्कूल की आपने स्कीम बनायी है। क्या आप केवल मौखिक रूप में ही उन्हें शिक्षा देंगे? उनकी ट्रेनिंग कहां होगी, यह सब व्यवस्था भी आपको करनी होगी।

सभापति महोदया, अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यह भारत का प्राचीन इतिहास नामक पुस्तक मेरे सामने है।

MR. CHAIRMAN: All your points seem to be the last point. I am sorry, Mr. Tyagi.

श्री ओम प्रकाश त्यागी: यह प्वाइंट मैं निश्चित रूप से कहूंगा, इसे कहे बिना मैं मानूंगा नहीं। इस देश में इतिहास गलत पढ़ाने का आन्दोलन चलाया जा रहा है। पढ़ाया जा रहा है कि आर्य लोग गो मांस खाते थे, बहिन भाई का भी यौन सम्बन्ध होता था। यह ऊट पटांग बकवास हमारे देश में की जा रही है। यह 11वीं क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास की पुस्तक पढ़ायी जा रही है जिसमें हमारे साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा जा रहा कि हम लुटेरे थे, डाकू थे, बहिन भाई का यौन सम्बन्ध होता था, हम गो मांस खाते थे, अतिथियों को गो मांस देते थे। इसके बारे में मैंने शिकायत भी की है। एक मेमोरेण्डम भी हमारे पास आया है कि इतिहासकारों की कलम पर रोक लगायी जाए।

MR. CHAIRMAN: Please conclude now. Such an important point should have been mentioned by you earlier. Please conclude now.

श्री ओम प्रकाश त्यागी: आर्य लोग बाहर से आये, कहां से आये, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे धर्म के साथ यह छेड़खानी क्यों, दूसरे धर्मों के साथ क्यों नहीं? हमारा देश सेक्यूलर स्टेट है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाये अन्यथा इसके विरुद्ध आन्दोलन शुरू होगा।

MR. CHAIRMAN: I am sorry, please conclude Mr. Tyagi.

(Interruptions)

MR. CHAIRMAN: I am sorry. Mr. Tyagi, you are behaving like this. I would request Hon. Members not to intrude on the time of other Hon. Members, who also have important things to say.

Now, Shri Sunna Sahib.

*SHRI A. SUNNA SAHIB (Palghat): Madam Chairman, within the time of ten minutes, I will have to speak in the speed of rushing waters from a mount to a meadow.

It is an accepted fact that illiteracy is the stumbling block for any progress in the country. I need not stress the inevitable that education is the basis for all social growth. Yet, even after 30 years of our independence, we find that primary education is being neglected. In 1976-77 the enrolment in the age-group of 6—11 was 675.30 lakhs, i.e., 80.9 per cent. In the age-group of 11—14 the enrolment

*The original speech was delivered in Tamil.

dwindled to 170.08 lakhs, i.e., about 37 per cent only. I refer to this to emphasise the extent of droppage of school-going children and the main reason for such a serious slippage is economic backwardness. This has hampered our social progress considerably. This problem of droppage heightens the need for providing more educational amenities to children in the age-group of 6—11. Should I say that this droppage doubles the rate of illiteracy in our country? These two aspects must guide our financial allocation for primary education. I am appalled at the size of baggage of books being carried by children of 2 feet in height. I am sure that their physical and mental growth would be stunted if they are to cramp up all these books. Similarly, I am sorry that the researchers should come out with so many contradictory conclusions about 10 plus 2 plus 3 or about 8 plus 4 plus 2 and make the blossoming buds of humanity the victims of their whims and fancies. We have had a galaxy of Commissions like Sir C. P. Ramaswami Aiyar Commission. Dr. Radhakrishnan Commission. Sir Ramaswami Mudaliyar Commission etc. and now the last was that of Malcolm Adiseshiya, supplemented by the efforts of Ishwarbhai Patel. Both of them are Vice-Chancellors of Universities, who have given their considered views about 10 plus 2 plus 3 system of education. I wonder what shape their recommendations will take at the time of implementation. I would suggest that vocationalisation should be the sole criterion for any pattern of education and that alone will help the nation in future.

Coming now to women's education, you will find that the droppage among girls is as high as 75 per cent and this is due to various reasons. I regret that the hands that feed the future generation of the country should be shackled like this.

17 hrs.

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

Our Madam Chairman, Shrimati Parvathi Krishnan and our Minister of State for Education must exert all their energies in getting equal status for women in the country. In 1968 a National Committee was constituted to study the status of women in the country. Its Report has come and some lip-sympathy has been paid about the recommendations of this Committee in the form of a Resolution. The poet-patriot of Tamil Nadu Bharathiyar used to sing that no country in the world is equal to India in honouring women. The women of the country should get equal status and that can be achieved only by providing more educational opportunities to girls which will reduce droppage substantially.

I will in brief refer to education of minorities, scheduled tribes and castes. It is not enough to sing Vaishnavo Janata. The other day in reply to a question of Shri Kanwarlal Gupta, it was stated that 15 per cent reservation had been given to Scheduled Tribes. That is not enough. For example, in Uttar Pradesh 150 lakhs of Muslims are living and 25 per cent of India's Muslim population is living in U.P. The U.P. has elected the largest number of Muslims to this House also. Yet in the Muslim Colleges and Schools in the U.P. 50 per cent students belong to non-Muslim communities. I welcome it. I am saying this only to show that the main reason for 50 per cent non-Muslim students in Muslim Colleges and Schools is the economic backwardness of this minority community. This urges the need for more educational facilities to children of this minority community. I am sure that the hon. Minister will bear this while formulating his financial allocations.

My hon. friend Shri Sathe referred to dismal functioning of Sangeet Natak Akademi and Lalit Kala Akademi. I would in particular refer to a Tamil Book which got the prestigious award of Sahitya Akademi. I am sorry to say that this Book does not deserve such a national award. This reveals

[Shri A. Sunna Sahib]

the fact that the people who are adept in the nuances of language and culture of the region have not been associated in the selection of books for award. Such a book which I have read and none has any word of appreciation for it has got the award.

I would refer to another important facet of this Ministry's functioning. I am sorry to say that the sportsmen who bring honour to the country are not honoured properly. If they let down the nation in international events we do not hesitate to condemn them. For example, Michael Feriera who is an International Champion of Billiards, was not given permission to go abroad for competing in an international event. He went on his own with his father's encouragement. He brought laurels to the nation. He won the Championship in Newzealand and even the congratulory message from our President was not conveyed to him. When he came back his creditable victory was not recognised and no reception was sponsored by the Sports Wing of the Ministry. It must be borne in mind that the Sportsmen of the nation are the real muscle of the nation and they must get their due.

I will now refer to the callous attitude of the Archaeological Department towards national monuments in the country. I say this from my experience of the ancient monument of a Fort in my constituency Palghat, which is 400 years old and which is claimed to have been constructed by Tipu Sultan. Previously the region of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka was one zone for protecting and maintaining national monuments. When Karnataka found that its monuments were being neglected, it secured a separate zone after a long struggle and now the ancient monuments in Karnataka are being well looked after. Unfortunately the Fort in Karnataka is in a stage of decay and no attention has been paid to its upkeep. I demand that adequate attention be paid to monuments like the Fort in Palghat by the Archaeology Department.

Lord Krishna says in Gita:

Pavitranaya Sadhunam Vinasayacha
Dushkradham Dharma 'santhapanar-
thaya sambhavami yuge yuge

To protect the good from the increasing predators of evil God takes birth on earth. Similarly, when illiteracy increases, leading to multiplication of distress among the people, the Government of India should come to rescue them and give succour and shelter in the form of more educational amenities. It is not enough to talk of education. Education must become universal. I know that the Central Government does not possess *Akshayapatram—a* vessel which never goes empty—for allocating as much money as Education needs. Yet Education must get more funds as educational growth is the key to social growth, and a nation is judged by its educational achievements.

With these words I conclude my speech.

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी) : सभापति महोदय, शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति के अनुदानों पर यहां बहस चल रही है। इस सम्बन्ध में पहली बात मुझे यह कहनी है कि जो शिक्षा प्रणाली इस देश में चल रही है, उसके चलते इस देश का उद्धार संभव नहीं, क्योंकि इस प्रणाली का जहां यह तरीका होना चाहिये था कि वसुधैव कुटुम्बकम् हो सत्य और प्रेम और करुणा का प्रसार एवं प्रचार हो, सत्यम् शिवम सुन्दरम् की अनुभूति से मानव मानव के प्रति सजग हो, वहां मौजूदा शिक्षा प्रणाली के चलते असत्यम राक्षसम् सुन्दरम् की कहावत चरितार्थ हो रही है। पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली का ही

कल है कि सारे देश में, शिक्षा जगत में आज अशांति का वातावरण फैला हुआ है, कहीं शांति नहीं है। सारे का सारा शिक्षा जगत अपने भविष्य के प्रति आशंका से त्रस्त दिखलाई पड़ रहा है।

मेरा कहना यह है कि शिक्षा भाषा के जरिये आती है। हिन्दुस्तान में नये सिरे से नहीं, बल्कि सही मायनों में तो 15 अगस्त, 1947 को ही वह काम हो जाना चाहिये था। हमें अपनी भाषा नीति पर पुनर्विचार करना होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो माता-पिता अपने बच्चों को शुरू से ही अंग्रेजी पढ़ाने लिखाने लग जाते हैं, वह अपना तथा राष्ट्र दोनों का द्रोह करते हैं। महात्मा गांधी की यह उक्ति सही है।

महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलने वाली एक पहली सरकार भी थी। मैं तो उस सरकार को सरकारी गांधीवाद की संज्ञा देता हूं। उस सरकारी गांधीवादियों ने भाषा के सवाल को जिस तरह से उलझाया, शिक्षा के सवाल को जिस तरह से मुलझाया, उसका ही यह कुफल है जो आज देश भोग रहा है। मैं आज कहना चाहता हूं कि भाषा का सवाल सर्वप्रथम हल होना चाहिये था, क्योंकि माता को कहने लगें कि किसी माता के बारे में भी किसी को शक हो कि वह माता उचित नहीं है, इस माता से भी गलत काम हुए हैं तो यह ठीक नहीं है। मां के दूध को जो बच्चा पीता है उससे ही वह पुष्पित और पल्लवित होता है। मां के दूध में जीवन दायिनी और आनन्ददायिनी जो शक्ति है, वह और कहीं नहीं है। लेकिन पिछले 30 वर्षों में महात्मा गांधी की उपेक्षा की गई।

मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मेरे दोस्त तमिल में भाषण कर रहे थे। मैं तो उस दिन को देखना चाहता हूं जब कि लोक सभा में आने पर किसी को लगे कि यह हिन्दुस्तान की सभा काम कर रही है, आज लोक-सभा में जब लोग आते हैं तो कभी-कभी मेरे जैसे लोगों से यह कहते हैं कि क्या यह अंग्रेज सभा है? इस बात से दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि तीस बरस बीत जाने के बाद भी इस देश में यह शिक्षा प्रणाली जारी है और इस के कुफल देखने को मिल रहे हैं।

अंग्रेजी की शिक्षा ने हमें निकम्मा और नकलची दोनों बना दिया है। हम इतने निकम्मे और नकलची हो गये हैं कि आप चले जाइये किसी निचली कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में; सब अदालतों में नजीरें पेश की जाती हैं कि अंग्रेजी कोर्ट का यह फ़ैसला है। कोई कभी यह नहीं कहता है कि रूस, चीन या जर्मनी की अदालतों का यह फ़सला है। अंग्रेजी के जरिये भोंडी नकल और ढिंढोरचीपन का काम हिन्दुस्तान में चल रहा है।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : पार्लियामेंट में भी ऐसा ही है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : पार्लियामेंट में भी शायद उसी के जरिये चल रहा है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकभाषा के बिना लोकतंत्र प्रस्फुटित नहीं हो सकता है। लोकतंत्र के लिए लोकभाषा जरूरी है। लोकमत की सही अभिव्यक्ति लोकभाषा के बिना नहीं हो सकती है। लोक सभा को तीस वर्ष तक चलने के बाद भी हमारी शिक्षा प्रणाली का कुत्सित परिणाम यह हुआ कि इस देश में 25 जून, 1975 को तानाशाही आई।

गांधीजी ने भी कहा था कि अंग्रेजी के व्यामोह से हमें पिंड छुड़ाना पड़ेगा, जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक स्वराज्य का कोई मतलब नहीं होगा और अंग्रेजी से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है।

[श्री चन्द्रशेखर सिंह]

संविधान सभा में इस विषय पर काफी चर्चा हुई और संविधान लिखते समय यह व्यवस्था की गई कि पंद्रह वर्ष के अन्दर-अन्दर सार्वजनिक जीवन से, सार्वजनिक प्रयोग से अंग्रेजी का खात्मा होगा। हां, पढ़ाई-लिखाई में अगर कोई अंग्रेजी पढ़ना चाहे तो, वह पढ़ सकता है। मेरे ख्याल से शायद पहली गलती संविधान सभा की थी कि इस बारे में पंद्रह बरस की अवधि निश्चित की गई। इसी कारण पंद्रह बरस के बाद लोक सभा ने यह प्रस्ताव पास किया कि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक चलती रहेगी—उस लोक सभा ने यह प्रस्ताव पास किया, जिस की अपनी अवधि केवल पांच साल की थी।

जब आयरलैंड अपनी स्वाधीनता की पराकाष्ठा पर पहुंचा, तो वहां की सरकार ने पहले ही से अपनी भाषा, गेलिक, को चलाया। इसी तरह इसरायल ने हेब्रु को चलाया—बिना इस बात का अन्दाज किये कि हेब्रु लायक है या नालायक है। जो हेब्रु एक हजार बरस से मरी पड़ी थी, इसराइल ने उस को उजागर किया और उस के जरिये वहां का राजकाज चला। इंडोनेशिया ने भी यही काम किया।

संविधान सभा द्वारा जो पंद्रह बरस का समय दिया गया, उस समय में अंग्रेजी परस्त राजनीतिज्ञ इकट्ठे हो गये। राजनीति, व्यापार और नौकरशाही के त्रिगुट ने इस देश में अंग्रेजी को इस लिए चलाना चाहा इन तीस सालों में जो रंक से राजा बन गये थे, उन के राजा बनने की कहानी पर पर्दा पड़ा रहे, इस देश के भ्रष्टाचार और बेईमानी पर पर्दा पड़ा रहे। आज उन लोगों की इस नीति को मिटाने का समय आ गया है। मैं शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस नीति पर पुनर्विचार करें।

इस नीति पर चलने का यह कुफल है कि आज जनता की पीठ पर सरकार बैठी हुई है और सरकार की पीठ पर अफ़सर बैठे हैं, जबकि लोकतंत्र में जनता को बैठना चाहिए था सरकार की पीठ पर और सरकार को बैठना चाहिए था अफ़सर की पीठ पर। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, उल्टा हो गया है—जनता की पीठ पर बैठ गई सरकार और सरकार की पीठ पर बैठ गये अफ़सर, क्योंकि अफ़सर अंग्रेजी की गिटपिट अच्छी करते हैं, अंग्रेजी में अपनी भावनाओं को ज्यादा अच्छी तरह व्यक्त कर सकते हैं।

1941 की जनगणना के अनुसार इस देश में 1.3 प्रतिशत अंग्रेजीदां थे और 1971 की जनगणना के अनुसार 2.4 प्रतिशत। यहां पर प्रतियोगितायें भी अंग्रेजी में होती हैं, मिलिटरी का अफ़सर या कलेक्टर वह हो, जो अंग्रेजी बढ़िया बोलता है। यह नहीं कि हवाई जहाज बढ़िया चला सकता है, कौन बढ़िया बम फेंक सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या नैपोलियन और रोमेल अंग्रेजी के जरिए अपनी लड़ाई में बहादुरी प्रकट किये थे? कदापि नहीं। लेकिन यहां नौकरियों में इस तरह की व्यवस्था होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि नौकरियों में अंग्रेजी का खात्मा किया जाय और अंग्रेजी की जगह पर प्रादेशिक संरक्षण दिया जाय। अनुपात के हिसाब से तमिलनाडु की जनसंख्या जितनी है उतनी नौकरियां वे तमिल में भी परीक्षा दें तो उन को दी जाय। आज त्रिभाषा फारमूला चलता है अंग्रेजी, हिन्दी और एक दूसरी भाषा का। मैं समझता हूं कि इस भाषा ज्ञान में हिन्दुस्तान के दिमाग को चक्कर कटवाया जा रहा है और विषय ज्ञान अधूरा रह जा रहा है। जो टेन प्लस टू प्लस थ्री सिस्टम है उस में दर्जा 8 तक 14 विषय पढ़ाए जाते हैं। क्या एक छोटे नन्हे बच्चे का दिमाग 4 विषयों को सीख सकता है और वह सीखता है तो क्या 14 विषयों के इस बाज ब्हाट के चक्कर में उस का दिमाग असंतुलित नहीं हो सकता? अभी तो यहां दस

पर ह मेम्बर बोलते हैं तो मंत्री लोग भूल जाते हैं कि वह सदस्य क्या बोल गए और 14 विषयों को पढ़ाने की कार्यवाही दर्जा 8 तक चल रही है, मैं समझता हूं कि यह देश के लिए बहुत ही अनुचित है।

प्राविधिक एवं विज्ञान और उद्योग में जापान तथा पश्चिमी जर्मनी सब से आगे हैं, लेकिन वे भी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं करते। आज भाषा ज्ञान पर ज्यादा समय लगता है, विषय ज्ञान पर समय कम लगता है और यही कारण है कि हिन्दुस्तान का राकेट छूटने की नौबत सब से पीछे आई और रूस का राकेट सब से पहले छूटा क्योंकि इस ने रूसी भाषा में अपना काम शुरू कर दिया था।

आज मैं शिक्षा मंत्री जी से निहायत अदब और अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तान जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरत: खण्डे आर्यावर्त्ते तक बड़ा हुआ था वह आज सिकुड़ते सिकुड़ते इतना छोटा रह गया, इस के भी कारण में अगर जाएंगे तो यही चीज पाएंगे।

कौवा आजाद रहता है क्योंकि वह अपनी बोली बोलता है और तोता पिंजड़े में जकड़ा जाता है क्योंकि वह बोल बेटा सीताराम, सीताराम बोलता है। यह बोल बेटा सीताराम की जो कहावत चलती है यह यहां से चलती है। आज यह देश एक परतंत्रता से तो जरूर छूटा लेकिन कई प्रकार की परतंत्रताओं में जकड़ गया है और जो इतना बड़ा देश था वह सिकुड़ते सिकुड़ते छोटा बन गया है।

लार्ड मैकाले ने 1835 में इस अंग्रेजी की स्थापना की और हिन्दुस्तान की भाषा को दीन हीन और दरिद्र बता कर के की क्योंकि वह जानता था कि अंग्रेजी के जरिए इस देश में राज चलाया जा सकता है। गोली के जरिए तो कभी कभी राज चला करते हैं, अकसर तो बोली के जरिए राज चला करते हैं। करोड़ों लोगों को हीन भावना से ग्रस्त किया जाता है कि राज की भाषा तो दूसरी है और वह भाषा तो हम बोल नहीं सकते इसलिए राज काज भी नहीं चला सकते। इसी अंग्रेजी के चलते ब्रिटिश काल में हिन्दुस्तान की जो शिक्षा थी वह दस प्रतिशत रह गई थी।... (व्यवधान)......

मैं समाप्त कर रहा हूं। नौकरियों में मैंने कहा कि प्रादेशिक अनुपात में सब चीजें मिलनी चाहिएं। प्रादेशिक भाषाओं और हिन्दुस्तानी को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। त्रिभाषा फारमूला समाप्त करना चाहिए। इस की जगह पर द्विभाषा फारमूला चलाना चाहिए। शिक्षा को रोजगार परक बनाना चाहिए। आज की शिक्षा क्या है? इस शिक्षा के चलते बेरोजगार बढ़ रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी 4 करोड़ बेरोजगार छोड़ कर चली गईं। बड़ा तीर मारती हैं कि हम ने यह कर दिया, जनता पार्टी कुछ नहीं करती। जो चार करोड़ बेकारों की शिक्षा प्रणाली को दे कर जाने वाली हैं वह भी आज कहती हैं कि हम ने बहुत ही तीर मारा है। आज तीस करोड़ बालिग अशिक्षित हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क होनी चाहिए। आज शिक्षा अनिवार्य नहीं है और निःशुल्क भी नहीं है। शिक्षा दसवें दर्जे तक अनिवार्य होनी चाहिए। निरक्षरता और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना चाहिए। सम्पूर्ण देश के अन्दर पाठ्यक्रम और शिक्षा के क्रम में एकरूपता होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में कुछ है, बिहार में कुछ है, मध्य प्रदेश में कुछ है, तमिलनाडु में कुछ है, बंगाल में कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा का विकास इस दृष्टि से हो कि

[श्री चन्द्र शेखर सिंह]

हिन्दुस्तान की आत्मा और प्रणाली दोनों में परिवर्तन हों। क्योंकि आखिर इसी शिक्षा प्रणाली का तो नतीजा है कि रोजाना माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि फलां जगह हड़ताल हो गई, सारे उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में हड़ताल हो गई। काशी विश्वविद्यालय में हड़ताल हो गई और शिक्षा मंत्री के बार-बार कहने के बाद भी काशी विश्वविद्यालय में आज तक कोई वाइस चांसलर नहीं गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा नीति पर पुनर्विचार कीजिए, शिक्षा नीति को बदलिए। इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन कीजिए कि देश के सोचने के तरीके में आमूल परिवर्तन हो। जब तक देश के सोचने के तरीके में आमूल परिवर्तन नहीं होगा आप बजट बनाते रहेंगे, कभी दो प्रतिशत खर्च करेंगे, कभी पांच प्रतिशत खर्च करेंगे और कभी दस प्रतिशत खर्च करेंगे परन्तु होगा कुछ नहीं। कल यहां सदन में किसी ने कहा था क्या 50 रुपए में संतोष है तो उसका जवाब था क्या तीन हजार में संतोष है। तो संतोष पैसे से नहीं होगा, संतोष प्रणाली से होगा। पैसा कम भी रहता था लेकिन इस देश की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें भारत दुनिया का गुरु था, भारत ने दुनिया को संदेश दिया था। इसलिए सवाल पैसे का नहीं है, सवाल नीति का है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज दुनिया प्रताप चन्द्र चन्द्र की तरफ देख रही है और उनसे पूछना चाहती है:

रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में
अब तो तेरे दिल की चर्चा गैर की महफिल में है।

आपकी जो चर्चा चारों तरफ है उस चर्चा के अनुरूप आप शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन कीजिए—यही आपसे मेरा निवेदन है।

इन शब्दों के साथ, जो अनुदान पेश किया गया है उसका तबीयत से तो नहीं, अब मार कर समर्थन कर रहा हूं।

श्री चिरंजी प्रसाद (बांसगांव): माननीय सभापति जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने शिक्षा, समाज कल्याण, संस्कृति विभाग के अनुदानों पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। यह बड़ी विडंबना की बात है और हम सभी लोग जानते हैं कि घर में जो बेटा कमाने वाला होता है उसको मां भी प्यार करती है। शिक्षा विभाग कमा कर देने वाला विभाग नहीं है जैसे कि अन्य विभाग हैं। शिक्षा विभाग केवल देश के लिए विद्वान, वैज्ञानिक और अन्य प्रकार के लोगों का सृजन करता है लेकिन यह कहा जाए कि वह कमा कर दे तो मुझे बड़ा दुःख होता है। वह तो बजट कम हुआ है उससे शिक्षा की बड़ी अवहेलना हुई है। यह विभाग जो एक बड़े ईमानदार मंत्री के हाथ में दिया गया है उससे हमारी बड़ी-बड़ी आशाएं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जो शिक्षा के स्तर रखे गए हैं—प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा—इसमें जो नींव है वही बड़ी कमजोर है और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जब से मानव नशान हुआ होगा, जब से उसने अनुभूति प्राप्त की होगी, वस्तुओं को छू करके और सूंघ करके अनुभूति प्राप्त की होगी लेकिन इतने वर्षों के बाद भी आज देश का दुर्भाग्य है कि प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या आज इतनी कम है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि आज भी प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चों की संख्या है वह मात्र दिखावा है। वह सही आंकड़े नहीं हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं, मैंने स्वयं जाकर देखा है वहां पर रजिस्टर में लड़कों की जो संख्या दर्ज होती है वह संख्या मौके पर नहीं होती है। इसका कारण यह है कि वहां जो अध्यापक होते हैं वे दूर जाना नहीं चाहते हैं। वे लड़कों की संख्या तथा छात्र प्रगति को बढ़ा चढ़ा दिखाकर अपने घर के निकट ही रहना चाहते हैं। इस संबंध में जो एस डी आई रखे

जाते हैं उनका भी मिला हुआ व्यवहार होता है। इसके चलते आज तीस वर्षों के बाद शिक्षित लोगों की संख्या इतनी कम है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा पाने वाले जो बच्चे हैं उनका अधिकांश समय बड़े घरों में पाखाना साफ करने में बीत जाता है। उनके कपड़े बर्तन धोने में व मजदूरी करने में बीत जाता है। मैं आप के माध्यम से इस सरकार से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ऐसे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन को ऐसी जगहों पर न जाने दिया जाय, उन को इसी स्तर पर निश्चित रूप से प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा देनी होगी, अन्यथा बाद में प्रौढ़ बना कर फिर से नये ढंग से शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो वह गलत होगा। हम को चाहिए कि प्रारंभिक अवस्था में ही उन को रोकें, शिक्षा दें, ताकि आगे जा कर प्रौढ़ शिक्षा के लिये हमें अधिक धन न खर्च करना पड़े, अधिक परिश्रम न करना पड़े।

2 अक्तूबर, 1978 से प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की स्कीम है, ताकि देश में जितने प्रौढ़ अशिक्षित हैं, वे शिक्षित हो जाएं, इस के लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

दूसरी बात—माध्यमिक शिक्षा की है। बहुत कोशिश कर के शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के लिए प्रयास किया। जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी अधिकार या स्वायत्ता की बात को स्वीकारा गया है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं—इस देश में एक समान कार्य करने वाले लोगों के लिए जब तक एक समान वेतन, एक समान सुविधाएं नहीं होंगी, चाहे उन के बच्चों के लिए हों, मैडिकल सुविधाएं हों, या अन्य सुविधाएं हों तब तक समानता नहीं आएगी, भिन्न-भिन्न स्तरों के नागरिक इस देश में बने रहेंगे। कोई भी आदमी चाहे नीचे स्तर का हो या ऊंचे स्तर का हो, वह इस देश का है, सब खाना खाते हैं, सब को साथ-साथ रहना है, इस लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं—इस असमानता की दूरी को खत्म करना होगा। शिक्षकों के विषय में अभी प्रदेशों में अनेक हड़तालें हुई हैं, लाठी-चार्ज हुए हैं—आप को इन चीजों पर विचार करना होगा और शिक्षा को समवर्ती सूची में ला कर ही इन विद्वद जनों का उपकार करना होगा।

जहां तक उच्च शिक्षा की बात है—अभी अनेक माननीय सदस्यों ने भी कहा है—जब तक नीचे से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा का तकनीकी ढंग से, व्यवसायिक ढंग से विकास नहीं किया जायगा, तब तक काम नहीं चलेगा। यदि हम सब को नौकरी के योग्य बनाते जायेंगे तो सब को काम नहीं मिल सकेगा। देखने में ऐसा भी आता है कि जिन के घरों में अच्छी आमदनी है, बहुत बड़ा फार्म है, 10-10 मजदूरों को रख कर काम कराते हैं, लेकिन स्वयं 100 या 150 रुपये की नौकरी करना चाहते हैं। मेरी यह स्पष्ट राय है कि ऐसे लोग जिन के पास खाने-पीने की कमी नहीं है, धन-धान्य से सम्पन्न लोग हैं, उन को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे ही लोगों के बच्चे 100–150 रुपये महीना खर्च कर के केन्द्रीय विद्यालय या पब्लिक स्कूलों में शिक्षा पाते हैं और हमारे घरों के लोग, जिन को टाट-पट्टी ले जा कर पढ़ना पड़ता है, उन को शिक्षा की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। जब तक इस देश का बुद्धिजीवी तबका इस ओर नहीं सोचेगा, सब को समान लाइन में ला कर, समान अवसर दे कर नहीं दौड़ाया जायगा, तब तक इस देश में दो किस्म के नागरिक बने रहेंगे—एक शासक होगा और दूसरा शोषित होगा। इन के अलावा और कोई नहीं हो सकता।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं—कहीं-कहीं पर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हरिजन कल्याण और समाज कल्याण

[श्री फिरंगी प्रसाद]

से संबंधित कुछ स्कूल चलाये जाते हैं, उन की दशा बहुत गिरी हुई है, उन की दशा को सुधारने की जरूरत है। इस तरफ़ विशेष ध्यान दिया जाय ।

शिक्षा पद्धति के संबंध में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे हैं। जहां 10+2+3 का फार्मूला चल रहा है, वहां 8+4+3 का भी उल्लेख हुआ है। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इस पर आम विचार करें, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि एक निश्चित नीति तय की जाय, ताकि सब को सन्तोष हो सके कि आप इस देश की शिक्षा पद्धति को अमुक रास्ते पर चलाना चाहते हैं।

एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं—इस का संबंध विश्वविद्यालय स्तर की डिग्री से है। मैंने एक पत्र केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी को लिखा था, जिस का नम्बर है— 14–5पी 177–स्कूल्स (5) ता० 30 दिसम्बर, 1977। यह विषय प्रदेश की सरकार से जांच हो कर भी आ गया है। मैंने इस पत्र में लिखा था कि किसी व्यक्ति ने फर्जी और गलत ढंग से गोरखपुर यूनीवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर ली है, लेकिन आज तक उस का निरसन नहीं हो सका। यदि ऐसी परम्परा या कार्य-पद्धति चलती रही तो गलत तरह से डिग्री लेने वालों का मन बढ़ता रहेगा और जो सही ढंग से पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे, उन की उपेक्षा होती रहेगी।

जहां तक स्कूलों और कालिजों में हड़ताल की बात है—मैं अभी हाल में गोरखपुर गया था और वहां कुल-सचिव से मिला था। मैंने वहां देखा, यूनीवर्सिटी के विद्यार्थियों को, मार्च का महीना समाप्त हो रहा है, मिलनेवाली टूर की सुविधायें अभी तक नहीं मिली हैं। इस पर लड़के बिगड़ जाते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी यह कहा जाता है कि छात्रों का उपद्रव है, उस में थोड़ा बहुत इस स्तर से हट कर हमें देखना चाहिए कि उन को मिलने वाली सुविधाएं किस तरह से दी जाती हैं, कितना परेशान कर के दी जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन के द्वारा जो हड़ताल किसी और आधार पर की जाती है, वह जायज है या नाजायज है, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ मामलों में यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग भी इस के लिए जिम्मेवार होते हैं।

मान्यवर, स्कूलों में आज भी छुआछूत की बातें चलती हैं। स्कूलों में मैं ने देखा है कि वहां जो हरिजन टीचर हैं, वे पानी पीने के लिए अपने बर्तन लाते हैं। जब स्कूलों में ही ऐसी बात होगी, तब कैसे इस देश का उपकार होगा। जब बच्चे इस तरह की बातें देखते हैं तो उन के ऊपर इस का असर पड़ता है। ये सब चीजें गांवों के किसी घर साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों में भी होने लगें, तो यह सही छूत नहीं है और वहां पर इस तरह से छुआछूत का प्रचार नहीं होना चाहिए। जब तक इस तरह की बातें रहेंगी, तो देश का कल्याण कैसे हो सकता है।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

SHRI G. NARSIMHA REDDY (Adilabad): Mr Chairman, I would like to bring a few ponits to the notice of the hon. Minister. Firstly, in my opinion, the Ministry of Education is the most unfortunate department for the last 30 years. It is because, whenever we go down the country side, when we discuss education, nobody is sure about the policy of the Government for the next year. There is always confusion in this department. Only yesterday the hon. Minister stated that the policy on 10+2+3 is still not finalized. My only request to the Education Minister is this: whatever policy you want to decide, please do it once and for all so that the students in the countryside and even the parents who want to give education to their children will be sure of the policy of the Government.

Secondly, under the 42nd Amendment Bill, education was included in the Concurrent List. As Shri Malhotra has very rightly stated, this is one of the right decisions taken by the 42nd Amendment Bill. I fully agree with him. I hear that Government are having re-thinking on this issue. If Government take away education from the Concurrent List, confusion would be created and the problem would continue to be there. In order to have the same pattern of education througout the country, it is very necessary that education should be in the Concurrent List. So, I would request the hon. Minister to give second thought to this.

Coming to primary education, according to the Report 848.38 lakh students of the age group 6 to 14 have been enrolled and another 452 lakh students have yet to be enrolled. The target of the Government is to enrol 452 lakh students. I do not know by what exercise they have arrived at this figure. I hope they have taken into consideration the rate of growth of population and, consequently, the children during this seven-year period. If they have not done this exercise, I would request the hon. Minister to do this exercise once more and correct it.

They would like to enrol these 452 lakhs of children in the age group of 6 to 14 within seven years, but seven years is a very long period. If they do not have sufficient funds, I shall presently indicate how they can overcome the problem. We have waited for 30 years. Every year, as so many hon. Members have pointed out, the number of illiterates is increasing in the country. So, if we have to wait for seven more years for bringing all the children in the age group of 6 to 14 under compulsory education, I think it is a very long period. Therefore, I request the hon. Minister to reconsider it and finish it within this Plan period itself.

We all know that it is a must in this age for every boy to have a minimum education. Therefore, wherever there are defects and difficulties found in the implementation of policies, they may appoint some committees to come to conclusions about them, but most of the policies are not wrong, only they are wrongly implemented. The defect lies in implementation. I, therefore,

[Shri G. Narsimha Reddy]

request the hon. Minister to see that they are properly implemented.

We have so many primary schools in our villages—I have my own experience as Chairman of the Zila Parishad of our district—where the teachers do not attend. For your information, teachers come hardly two or three times a month from other places and draw their salaries. You will be surprised to know that there are some villages which do not know that primary schools have been sanctioned for them. So, you can imagin that the teachers of those schools stay somewhere else and draw their salaries. So, the policy is correct, but in implementation we are very much lagging behind. Therefore, we have to take greater care about the implementation part of it.

Coming to secondary education, again we throw the blame on the staff or the students for the failures. We all know very well that the big officers, the well-to-persons and businessmen do not send their children to your Government schools. They send them to the private schools. Why? There are reasons for it. In so many of our secondary and high schools—I can quote so many examples from my State—you do not have mathematics or science teachers. How do you expect the parents to send their children to such schools? This is one of the reasons why the standard of education is going down.

I have yet not understood why they are having this system of higher education. Do we require for our clerical jobs BAs, B.Scs., and B. Coms? I do not think so. You have to draw a line regarding the minimum education required by a person. In my opinion, secondary school education is sufficient to give us all the LDCs and UDCs in this country. Higher education should be selective. Do not force all the boys to go to the colleges and roam about the streets wearing tight pants, seeking jobs. Once the boy of a small farmer or illiterate persons gets a degree, he is not prepared to go back to his father's profession. He does not get a job in Government service. So, instead of improving the standard of his family, we are spoiling the life of the family. Therefore, I suggest that the hon. Minister should think on this issue and decide as to how many boys have to go for higher education. The higher education should be selective like we have medical sciences and engineering sciences. Similarly, if you want some intelligent boys for research work, for literature work, then you have to decide about it. These boys who join colleges, after matriculation, and get degrees have no meaning. Therefore, this is an important issue on which you have to decide, that is, you have to decide how many students you require for higher education. If you decide about it, I am very sure .. you do not require so many colleges in taluka headquarters and in the villages; we do not require so many colleges at all. My personal opinion is that you will have to decide on this issue. If you do not decide on this issue, then you will be creating unemployment problem for the graduates. And these boys who come from the villages, from the poor families will not be able to go back and join the professions of their fathers, they will not be able to do their own profession. The result will be that they will be nowhere. I once more request the hon. Minister to consider this matter again.

श्री रूपनाथ सिंह यादव (प्रतापगढ़) : आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस देश में 90 प्रतिशत शोषित पीड़ित जनता है। उसकी शिक्षा का तथा उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान का मसला हमारे सामने है। आज तक जो शिक्षा की नीति रही है उससे लाभ केवल बड़े लोगों को हुआ है, बड़े घरानों को हुआ है और देश की जो 90 प्रतिशत जनता है, हरिजन, आदिवासी, गिरिजन, मुस्लिम और पिछड़े

वर्ग के लोग हैं उनको कोई लाभ इन पिछले तीस वर्ष के शासनकाल में नहीं हुआ है,—उस नीति से नहीं हुआ है जो इन पिछले तीस वर्ष से अपनाई गई है।

दो चीजों से देश को बड़ा नुकसान हुआ है, एक अंग्रेजी भाषा और दूसरी जाति प्रथा दोनों ही राष्ट्रीय समस्यायें हैं। इन दोनों के टूट जाने से देश में समता वाले समाज का निर्माण हो सकता है। हम सब ने वर्ण विहीन, वर्ग विहीन जाति विहीन समाज की अपने संविधान में व्यवस्था की है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि देश का जो सब से गरीब तबका है, सब से नीचे का जो तबका है उसको उठाने का काम केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये। आप देखें कि इन पिछले तीस वर्षों में सामाजिक और आर्थिक विषमतायें बढ़ी हैं। देश का मानस सिकुड़ा और संकीर्ण हुआ है। इसका मैं जीता जागता उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, परसों की हो बात है, बनारस में एक घटना घटी है। वहां पर दो दिन का एक सम्मेलन हरिजनों और पिछड़े वर्गों का आयोजित किया गया था। उस में रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम ने भाग लिया था, उसका उद्घाटन किया था। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने एक बहुत ही मामूली सी बात कही थी जो संविधान के मुताबिक भी थी और जनता पार्टी की नीति से मेल भी खाती थी। उस बात को लेकर बड़ा भारी रोष पैदा हो गया है। वहां पर जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने एक ऐसा निन्दनीय काम किया है जिससे हम सब के सिर शर्म से झुक जाते हैं। उन्होंने यही कहा था कि संस्कृत विश्वविद्यालयों में पच्चीस प्रतिशत पर ब्राह्मण शिक्षक होने चाहिये और कर्मचारियों में भी गैर ब्राह्मण लोग भरती किए जाने चाहिऐ। साथ ही उपकुलपतियों में कोई गैर ब्राह्मण लोग रखे जाने चाहियें। यह देश में एक परम्परा सी चली आई है, एक संस्कार सा बन गया है जन्म से ही एक जाति विशेष बहुत बड़ी बन गई है, काबिल बन गई है, योग्य बन गई है और बाकी जो हिन्दुस्तान की जातियां हैं वे पिछड़ी हुई हैं। हिन्दुस्तान में दो तीन हजार जातियां हैं। एक ऋषि ने कहा था कि हिन्दुओं में 2003 जातियां हैं। उन्होंने सुपीरियर और लोअर कास्टस का जिक्र किया है। सुपीरियर कास्टस में उन्होंने आठ दस को गिनाया है और बाकी सभी जातियों को अनुसूचित जातियों जन जातियों में, पिछड़ी जातियों में रख दिया है। हजारों वर्षों से कोशिश करने के बावजूद भी इस जाति प्रथा का देश मे खात्मा नहीं हुआ है। महात्मा बुद्ध ने महात्मा गांधी ने, डा० राम मनोहर लोहिया ने तथा और भी सामाजिक विचारकों ने देश में कोशिश की है कि यह जाति प्रथा टूट जाए लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसका खात्मा नहीं हुआ है और यह चली आ रही है। इसके कारण बड़ी भारी देश में विषमता पैदा हुई है।

शिक्षा की नीति का जहां तक संबंध है, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय बहुत विद्वान ही नहीं बल्कि कानून के पंडित भी हैं। इस वास्ते उनका ध्यान मैं संविधान की कछ धाराओं जैसे 340,46,15(4) 16(4) की और दिलाना चाहता हूं। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह जनता सरकार में एक एसा चमत्कारी काम कर जायें जिससे जो दोनों अभिशाप हैं—जाति प्रथा और अंग्रेजी भाषा का नाजायज फायदा उठाना, यह दोनों खत्म हो और हम एक समतावादी समाज बनावें। यह कहना गलत न होगा कि हमारे उप-राष्ट्रपति महोदय ने गुड़गांव में जो भाषण दिया और आज के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है वह मैं सदन की जानकारी के लिये उद्धृत कर दूं उन्होंने कहा है कि :

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

"A few privileged upper caste families still predominate the senior administrative cadres such as IAS, IPS and IFS primarily because our educational and examination system continues to weigh heavily in favour of the so-called socially superior sections of Indian society."

He has further said:

"It is time that we scrapped the public school system and provide similar schooling to the sons and daughters of all sections of society, whatever be their origin."

मान्यवर, यह उनका भाषण है। हमारे सभी माननीय सदस्यों का यह विचार है कि पब्लिक स्कूलों में एक विशेष जाति के लोग ही पैदा किये जाते हैं और जो धनी लोग हैं, बड़े घराने के बच्चे हैं वही वहां पढ़ते हैं और गरीब लोगों के बच्चों को भर्ती भी नहीं वहां होती है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि जितनी जल्दी आप इनको अबालिश कर दें उतना ही अच्छा रहेगा और यह आपका एक क्रान्तिकारी कदम होगा।

MR. CHAIRMAN: Please try to conclude in two minutes. There are so many Members who want to speak.

श्री रूपनाथ सिंह यादव : 5 मिनट मुझे मान्यवर और दे दीजिये। मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने भाषण में पब्लिक स्कूलों के बारे में अवश्य कहें कि उनको कब तक बंद कर रहे हैं। और अगर ऐसा न कर सकें तो यह कानून जरूर बना दें कि कि 70 प्रतिशत बच्चे पब्लिक स्कूलों में हरिजन, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों के भर्ती होंगे।

मान्यवर कांस्टीट्यूशन के आर्टिकिल्स 15(4) और 16(4) इस प्रकार है;

"Nothing in this article or in clause (2) of article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes."

"Nothing in this article shall prevent the State from making any provision for the reservation of appointments or posts in favour of any backward class of citizens which, in the opinion of the State, is not adequately represented in the services under the State."

इन दोनों आर्टिकल्स के मुताबिक मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि तामिलनाडू की सरकार ने 1971-72 में जो इसके मातहत कानून बनाना है उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं जो बहुत ही क्रान्तिकारी और समाजवादी कदम है और मैं उस सरकार को बधाई देता हूं जो उन्होंने आर्डर पास किया है इस संविधान के अनुच्छेद के मातहत वह पढ़ना बहुत जरूरी है :

This is Tamil Nadu Government's G.O. No. 695 dated 7-6-1971:

"The Government have examined the recommendations of the Backward Classes Commission and the High Level Committee very carefully and have decided to increase the existing reservation for backward classes from 25 per cent to 31 per cent and for Scheduled Castes and Scheduled Tribes from 16 per cent to 18 per cent where reservation is provided by the State Government for the above classes.

"In supersession of all previous orders on the subject, the Government direct that, with effect from the academic year 1971-72, reservation of seats be made at 31 per cent for backward classes and at 18 per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of all courses in all kinds of educational institutions under all kinds of managements (like Government Local Body

and Aided Managements) where reservations is provided by the State Government for the above classes."

The reservation of seats as per the above orders shall be a condition for the payment of any grant-in-aid from the funds of this Government to any private management or local body or to the Universities (in respect of courses conducted and institutions run directly by them).

The claims of members of the Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also be considered for the remaining 51 per cent of seats which are filled on the basis of merit. Where a candidate belonging to Backward Classes or Scheduled Castes or Scheduled Tribes is selected on the basis of merit against any of the seats in the said 51 per cent of unreserved seats, the number of seats reserved for Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, should not in any way be affected.

यह चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सामाजिक और शारीरिक दृष्टि से गरीब हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं उनके लिये इस प्रकार से गवर्नमेंट ने आदेश किया था जो कि जायज है।

मैं कहूंगा कि जितने सैन्ट्रल स्कूल हैं जितने स्टेट स्कूल्स हैं उन सब को गाईडलाइन भेज दें कि कम से कम 100 में से 60 सीटें नौकरियों में इन के लिये रिजर्व की जायें। काका कालेलकर साहब ने अपने आयोग की सिफारिश में लिखा है कि 70 फीसदी सीटें रिजर्व का जायें। तभी हम समता का युग देखेंगे वरना विषमता बढ़ती जायेगी और जो बजट पेश किया गया है उसका फायदा 10 फीसदी लोग उठायेंगे और 90 फीसदी उससे वंचित रह जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि जल्दी से जल्दी अपनी सारी नीति को स्पष्ट कर के सभी स्टेटों और सेंट्रल स्कूलों में, सर्विसेज में, एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स में इस नीति को लागू

"that the Classification of Backward Classes on the basis of caste is within the purview of Art. 15(4), if these castes are shown to be socially and educationally backward. There are numerous castes in the country which are socially and educationally backward. To ignore their existence is to ignore the fact of life. Hence we are unable to uphold the contention that the impugned reservation is not in accordance with Art. 15(4).

मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इसे सभा पटल पर रख देते हैं, यह बहुत जरूरी है।

इसमें एक बात मैं आपसे और अर्ज करना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को जायज माना है कि इस कानून को बनाना वैलिड है, कांस्टीट्यूशनल है। थोड़ा सा

चीफ जजमेंट का मैं आपको सुनाना चाहता हूं।

आपने देखा होगा कि बिहार में आज भी यह बात उठाई जा रही है कि आरक्षण इकनामिक आधार पर होना चाहिये। इस नजीर को आप देख लें, उससे मालुम होता है कि कांस्टीट्यूशन में लिखा है कि बैकवर्ड का आधार सामाजिक होना चाहिये ना कि इकनामिक

जातियां जो बनी हैं वह इस हिसाब से बनी हैं कि जो आर्थिक ढंग से गरीब हो गये हैं, पिछड़ गये हैं जो खेती-बाड़ी करते हैं सफाई और मजदूरी करते हैं वह छोटे रह जाते हैं और जो एयरकंडीशन में रहते हैं वह बड़े हो जाते है। इस तरह से संविधान के निर्माताओं ने समाजिक पिछड़ेपन को आधार माना है उसी पर सुप्रीमकोर्ट ने

[श्री रूपनाथ सिंह यादव]

कमिंग दिया है इसलिये बिहार के मसले को आप देख लें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने वहां के मुख्य मंत्री और श्री जय प्रकाश नारायण को पत्र लिखा है कि इस नजीर को देखते हुए आर्थिक पचड़े में न फंसें बल्कि जो सामाजिक आधार इसमें है, उसको लागू करें।

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण (कराड) : माननीय सभापति महोदय, मैं इन शिक्षा की डिमांडज फौर ग्रान्टस का समर्थन तो नहीं कर पाती, क्योंकि अभी जैसा सदस्यों ने बताया कि इसके लिये जो डिमांड की गई है, वह पूरी नहीं है। आज तक का इतिहास है कि जो भी शिक्षा पर खर्च किया जाता था वह हमारी लोक-संख्या और बड़े देश के लिये बहुत ही कम है। इसलिये मैं प्रथम तो मंत्री जी को यह कहूंगी कि आप इन डिमांड को पहले बढ़ाने की कोशिश करें और उसके बाद शिक्षा नीति, जिस पर आज इतनी बहस हो रही है और सब लोग उसे बुरा बता रहे हैं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। हमारे देश की शिक्षा प्राप्त कर के स्वामी विवेकानन्द जैसे बड़े बड़े लोगों और महात्माओं ने भारत जैसे देश को अमरीका आदि विदेशों तक पहुंचाया है। इस लिए हमारे देश की शिक्षा नीति एक दिशा बताने वाली नीति रही है। इस उदात्त शिक्षा नीति को पूरी तरह समझे बिना नीची कर के दिखाना उचित नहीं है।

लेकिन जब से हमें स्वराज्य मिला है, तब से आज तक हमारी कोई शिक्षा नीति बनी ही नहीं है। जिन व्यक्तियों के हाथ में शिक्षा मंत्रालय आया, जो भी मंत्री बने, उन्होंने अपने अपने स्तर पर शिक्षा नीति को तोड़-मरोड़ कर बनाना चाहा। मैं अपनी पिछली सरकार की एक मिसाल देना चाहती हूं। किसी योग्य व्यक्ति को कोई महकमा न देते हुए मानों लाट्स डाल कर महकमें बांटे जाते थे। पिछली सरकार में डा० कर्णसिंह जैसे विद्वान को शिक्षा मंत्री न बना कर किसी दूसरे व्यक्ति को बना दिया, और उन्हें ऐसा महकमा सौंपा गया, जिस के बारे में वह कम जानकारी रखते थे। अगर उस वक्त उन्हें हैल्थ मिनिस्ट्री

और फैमिली प्लानिंग का काम न किया जाता, तो जो देश में आज हो रहा है, वह न होता। फैमिली प्लानिंग के संबंध में जो भी ज्यादतियां हुई हैं, उन के लिए मैं उन्हें जिम्मेदार समझती हूं, क्योंकि वह सब कुछ उन के दुर्लक्ष के कारण हुआ। उन ज्यादतियों का दोष पूरी सरकार पर लगाया जाता है, जबकि पूरी सरकार का इस में दोष नहीं था।

एक सोशल वर्कर के रूप में मैं ने मंत्री महोदय को कहा था कि ये ज्यादतियां हो रहीं हैं, आप खुद जा कर उनकी जांच करें और इस बारे में एक्शन लें। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि जबर्दस्ती करने का तो बहाना है, लोग फैमिली प्लानिंग करना नहीं चाहते हैं।

शिक्षा मंत्री के हाथ में बहुत कुछ है। शिक्षा मंत्री को देश में शिक्षा का प्रसार करने के लिये अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और उचित नीति को लागू करना चाहिए। अगर इस के लिए रास्ता देखते रहेंगे, तो बहुत समय बीत जायेगा। जब जनता सरकार ने शासन सम्भाला था, तो उन्हें आश्वासन दिया था कि हम शिक्षा को बहुत बढ़ायेंगे।

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue her speech tomorrow.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, April 12, 1978/Chaitra 22, 1900 (Saka).

GMGIPND—L—352LS